



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAJRUDDIN SAFI UDDIN PESRAN HAYATULLAH

पता J.17/111 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8960242388

MIS Id. 08160287-- Property Id. 1J171055001

Latitude 25.33361178050

Longitude 83.01158953130

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/111 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,178.0** व सामान्य कर **1,120.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,B1_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 1000,C= 900	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	58,265.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	58,265.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	8,740.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAAN MD. ALLAIS MUNNA TASAVVAR ALI ALLAIS SAHEALAM

पता J.17/109-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160282-- Property Id. 1J171057001

Latitude 25.33377137500

Longitude 83.01169803300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/109-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,582.0 व सामान्य कर 504.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,096.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 2550,C= 90	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,040.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,012.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,012.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,091.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DEEN MOHAMMED, JAN MOHD., FATEH MOHAMMED S/O LATE DEEN

पता J.17/113 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160284-- Property Id. 1J171060001

Latitude 25.33380272940

Longitude 83.01148122040

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/113 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,650.0 व सामान्य कर 622.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	842.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1200, C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,496.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,496.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,025.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EGRAM AHMAD PESAR LAL MOHAMMAD SAHJAHAN BIBI RUKHSANA

पता J.17/108-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9044771143

MIS Id. 08160211-- Property Id. 1J171063001

Latitude 25.33386429510

Longitude 83.01175148430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/108-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,138.0** व सामान्य कर **455.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,122.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,122.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	673.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम WAZIR,NISAR ALI,HAIDAR ALI

पता J.17/108 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160277-- Property Id. 1J171063002

Latitude 25.33386429510

Longitude 83.01175148430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/108 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,267.0 व सामान्य कर 579.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,182.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1020,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	816.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,581.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,581.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	614.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Ali Ahamad

पता J.17/113-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160283-- Property Id. 1J171064002

Latitude 25.33389278220

Longitude 83.01160395920

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/113-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,929.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 6	R= 2600,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,080.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	35,157.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	35,157.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,867.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI MOHAMAMD ASLAM KURRAISI S/O ABDUL SALAM

पता J.17/109-B-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160274-- Property Id. 1J171064003

Latitude 25.33389278220

Longitude 83.01160395920

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/109-B-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **18,468.0** व सामान्य कर **2,031.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,927.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2736,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,189.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,714.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,714.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,059.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM MOHAMMED,SAMIULLAH,ABDULLA,WALI MOHAMMED S/O

पता J.17/109-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160276-- Property Id. 1J171065001

Latitude 25.33389651590

Longitude 83.01146211870

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/109-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,936.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,B1_Residential,GF_	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 1200,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,850.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,850.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,084.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAIMUDDIN S/O HAJI ALAUDDIN,NURUL ISLAM,ZAFRUL

पता J.17/95+107-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160207-- Property Id. 1J171066001

Latitude 25.33395583040

Longitude 83.01184233820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/95+107-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 12,558.0 व सामान्य कर 1,381.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,024.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2048,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,638.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,607.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,607.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,387.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAHAMAN SARVAN ABDUL JALIL ABDUL KHALIL

पता J.17/107 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160228-- Property Id. 1J171067001

Latitude 25.33396694670

Longitude 83.01161021980

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/107 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,900.0** व सामान्य कर **869.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	930.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1456,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,165.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,967.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,967.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	876.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Haji Majidin S/o Kanir Fatama

पता J.14/107-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160210-- Property Id. 1J171068003

Latitude 25.33404363070

Longitude 83.01180674040

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.14/107-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 20,953.0 व सामान्य कर 2,305.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,058.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 3510,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,808.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,608.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,608.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,377.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASID KHAN S/O RAHAMATULLA

पता J.17/106 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160227-- Property Id. 1J171069001

Latitude 25.33401667060

Longitude 83.01161586050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/106 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,468.0** व सामान्य कर **931.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	780.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1560,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,248.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,536.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,536.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	939.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Abadul Salam S/o Rahman

पता J.17/195 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9792720574

MIS Id. 08160209-- Property Id. 1J171071001

Latitude 25.33411056440

Longitude 83.01174678640

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/195 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,650.0 व सामान्य कर 622.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	425.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 750,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,848.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,848.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	643.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAMIR ANSARI,RIJVAN HASHIM SS/O HAJI GULAM RASOOL

पता J.17/101 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160226-- Property Id. 1J171074001

Latitude 25.33410831040

Longitude 83.01165862270

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/101 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,227.0** व सामान्य कर **1,565.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,964.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2625,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,100.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,364.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,364.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,580.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Najir Imam Saheb

पता J.17/163 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160225-- Property Id. 1J171075001

Latitude 25.33411217710

Longitude 83.01157644060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/163 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,962.0 व सामान्य कर 326.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	710.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 576,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	461.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,152.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,152.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	347.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASAGAR ALI,SUBAHAN ALI

पता J.17/96 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160204-- Property Id. 1J171076002

Latitude 25.33420271030

Longitude 83.01194023760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/96 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 15,239.0 व सामान्य कर 1,676.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,894.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2790,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,232.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,267.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,267.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,679.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD IBRAHIM MOHD ISLAM MOHD ISRAR OTHERS

पता J.17/114-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7318417411

MIS Id. 08160214-- Property Id. 1J171078001

Latitude 25.33424141780

Longitude 83.01176557940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/114-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,755.0 व सामान्य कर 963.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,850.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,850.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,084.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIHALUDDIN S/O MD.YASIN

पता J.17/101-C Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9532795045

MIS Id. 08160092A Property Id. 1J171081001

Latitude 25.33430335640

Longitude 83.01064460410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/101-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,462.0** व सामान्य कर **271.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	784.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 840,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	672.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,171.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,171.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	569.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIYA BIBI,

पता J.17/101-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

MIS Id. 08160089-- Property Id. 1J171083001

पुराना वार्ड W036

Latitude 25.33435318050

मोबाईल नं०

Longitude 83.01055509690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/101-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 12,237.0 व सामान्य कर 1,346.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,150.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1850,C= 450	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	36,286.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	36,286.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,991.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TAHRUNNISA ALIMUNNISA SIRAJUDDIN AND OTHERS

पता J.17/98 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160201-- Property Id. 1J171084001

Latitude 25.33431923520

Longitude 83.01194657910

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/98 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 10,397.0 व सामान्य कर 1,144.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,552.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1920,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,536.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,506.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,506.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,156.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IQBAL AHAMAD S/O HAJI BASHIR ULLAH

पता J.17/139-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160200-- Property Id. 1J171087002

Latitude 25.33442656750

Longitude 83.01193437670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/139-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,526.0** व सामान्य कर **1,488.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,782.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2604,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,083.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,811.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,811.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,959.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASRAT ALI S/O LATE RAHMAT ALI

पता J.17/139 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160199-- Property Id. 1J171087003

Latitude 25.33442656750

Longitude 83.01193437670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/139 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,909.0 व सामान्य कर 320.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,782.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 504,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	403.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,103.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,103.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	341.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SADAUNNISA W/O BARAKTULLA

पता J.15/90-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160044A Property Id. 1J171089001

Latitude 25.33445198650

Longitude 83.01059322100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.15/90-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,858.0** व सामान्य कर **424.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,558.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1296,C= 1144	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,037.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	47,117.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	47,117.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	5,183.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Abadul Vali

पता J.17/1-G Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160090-- Property Id. 1J171089002

Latitude 25.33445198650

Longitude 83.01059322100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/1-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 12,704.0 व सामान्य कर 1,397.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,056.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2112,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,690.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,001.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,001.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,430.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.ALI S/O HAZI MUNIR ALI

पता J.17/104-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160216-- Property Id. 1J171090001

Latitude 25.33440312310

Longitude 83.01168861790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/104-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,880.0** व सामान्य कर **317.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	6,869.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 6400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	5,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	43,776.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	43,776.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,815.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.ALI S/O HAZI MUNIR ALI

पता J.17/104 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160198-- Property Id. 1J171090002

Latitude 25.33440312310

Longitude 83.01168861790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/104 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,884.0** व सामान्य कर **1,087.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	6,869.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1872,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,498.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,244.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,244.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,127.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Khalilu Rahaman S/O Rafiulla

पता J.17/101-K-1-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9580469534

MIS Id. 08160094-- Property Id. 1J171093001

Latitude 25.33453866880

Longitude 83.01069312180

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/101-K-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,802.0 व सामान्य कर 418.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	875.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 875,C= 875	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	700.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	56,260.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	56,260.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	8,439.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHIMUNNISA W/O SAFAULLA

पता J.17/101-G Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8090482047

MIS Id. 08160091-- Property Id. 1J171094001

Latitude 25.33454542150

Longitude 83.01060336340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/101-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,774.0** व सामान्य कर **1,625.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2268,C= 432	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,814.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	37,526.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	37,526.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,128.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT MALIK RAHMAT ALI

पता J.17/140-B-4 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7376631208

MIS Id. 08160197-- Property Id. 1J171097001

Latitude 25.33453272120

Longitude 83.01166574600

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/140-B-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,052.0 व सामान्य कर 226.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 600,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,546.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,546.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,370.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIRULLA,VASHIRULLA,VAHIDULLA SS/O RAFIULLA

पता J.17/138 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160193-- Property Id. 1J171101001

Latitude 25.33456589520

Longitude 83.01186557280

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/138 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 18,604.0 व सामान्य कर 2,046.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 8900,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	7,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	56,532.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	56,532.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	8,480.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.MUSTAKIMA S/O LATE HAJI MATIULLA

पता J.17/140-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9026338987

MIS Id. 08160188-- Property Id. 1J171109001

Latitude 25.33471387770

Longitude 83.01166594290

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/140-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,557.0 व सामान्य कर 391.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1700,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,360.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	32,558.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	32,558.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,581.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUNIRUDDIN ALLAIS MUNIR

पता J.17/111-A-4 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9151270401

MIS Id. 08160097-- Property Id. 1J171111001

Latitude 25.33475652760

Longitude 83.01053610490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/111-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,075.0** व सामान्य कर **558.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1350,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,080.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,387.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,387.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	813.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHA KUTUB ALI SHAH U/G SHAH FAIJUL ESALAM SAHAB MUTAVALI

पता J.15/99-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160099-- Property Id. 1J171111002

Latitude 25.33475652760

Longitude 83.01053610490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.15/99-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,282.0** व सामान्य कर **471.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,723.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 806,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	645.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,410.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,410.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	485.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAIMULLA S/O HAZI MATIULLA

पता J.17/140-A-1-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160187-- Property Id. 1J171113001

Latitude 25.33478081290

Longitude 83.01166680950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/140-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,944.0** व सामान्य कर **1,204.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	770.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 855,C= 770	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	684.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	48,860.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	48,860.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	5,375.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ARSAD JAMAL ANWAR JAMAL SHAHID JAMAL WAHID JAMAL SS/O

पता J.17/136-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9839144842

MIS Id. 08160189-- Property Id. 1J171114001

Latitude 25.33476099460

Longitude 83.01185925510

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/136-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 9,712.0 व सामान्य कर 1,068.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 1200,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	24,966.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	24,966.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,746.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI NAI MULLA MUKI MULLA JAVED AHAMAD PARVEJ AHAMAD

पता J.17/140-C-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160183-- Property Id. 1J171121001

Latitude 25.33490227500

Longitude 83.01148920800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/140-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 24,624.0 व सामान्य कर 2,709.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2900,C= 1600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,08,893.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,08,893.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	16,334.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Chhotak S/o Katwaru

पता J.17/140-B-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9366641823

MIS Id. 08160175-- Property Id. 1J171123001

Latitude 25.33504598410

Longitude 83.01149708450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/140-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,231.0** व सामान्य कर **135.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	560.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1580,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,264.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,470.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,470.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,262.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAZZAQUE S/O DEEN MOHAMMAD MARHUM

पता J.17/140-B-1-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160180-- Property Id. 1J171124001

Latitude 25.33510039290

Longitude 83.01149890300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/140-B-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,481.0** व सामान्य कर **1,153.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2300,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,840.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,903.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,903.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,749.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAM JAN ALI S/O DIN MOHAMMAD

पता J.17/140-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160179-- Property Id. 1J171125001

Latitude 25.33515283510

Longitude 83.01149784430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/140-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,090.0 व सामान्य कर 450.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	977.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2028,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,622.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,097.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,097.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,221.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT MALIK SMT.AJIJUNISHA, MD.KARIM

पता J.15/100-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160109-- Property Id. 1J171126001

Latitude 25.33512323120

Longitude 83.01030494470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.15/100-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,825.0 व सामान्य कर 311.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	512.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 512,C= 512	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	410.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	32,570.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	32,570.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,583.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAUZA KUTUB ALI SHAH,MASJID,AWASIYA BHAWAN,KUWAN,RAUZA

पता J.15/99 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160127-- Property Id. 1J171126003

Latitude 25.33512323120

Longitude 83.01030494470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.15/99 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,859.0 व सामान्य कर 864.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,345.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1440,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,152.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,880.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,880.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	867.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHNAJ BANO W/O AHMADULLAH

पता J.17/101-F-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9305403654

MIS Id. 08160174-- Property Id. 1J171129001

Latitude 25.33532885170

Longitude 83.01151911350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/101-F-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **32,914.0** व सामान्य कर **3,621.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Hospital,GF_Res	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1720,C= 680	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,376.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	33,133.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	33,133.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,645.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI NASIRULLA VASIULLA ANSAR AHAMAD ANWAR AHAMAD SS/O

पता J.17/142-A-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160172-- Property Id. 1J171132001

Latitude 25.33549439380

Longitude 83.01155792020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/142-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,901.0** व सामान्य कर **209.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,820.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 312,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	250.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,921.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,921.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	211.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAZ ALI S/O HAFIJ KHURSHID ALI

पता J.17/140-A-1-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160185-- Property Id. 1J171136001

Latitude 25.33474303970

Longitude 83.01146451240

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/140-A-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 16,416.0 व सामान्य कर 1,806.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,894.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3520,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,816.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	24,077.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	24,077.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,648.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MATIN ALLAIS NAGGA

पता J.17/108-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160279-- Property Id. 1J171137001

Latitude 25.33384939030

Longitude 83.01185848490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/108-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,587.0** व सामान्य कर **175.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	840.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Clinic	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 840,C= 840	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	672.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	33,899.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	33,899.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,729.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Moh. Shahban S/o Din Mohammad

पता J.17/140-C Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8799029154

MIS Id. 08160181-- Property Id. 1J171142001

Latitude 25.33500380660

Longitude 83.01149800900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/140-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,526.0** व सामान्य कर **1,048.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2075,C= 625	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,660.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	49,112.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	49,112.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	5,402.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHANKAR RAM SONKAR S/O LATE PANNA LAL SONKAR

पता J.35/85-M-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08350629-- Property Id. 1J170002001

Latitude 25.33390994070

Longitude 83.01332385910

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.35/85-M-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,736.0** व सामान्य कर **301.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.40	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMAR NATH CHAURASIA , KAPOOR CHAND CHAURASIA

पता J.25/57-A-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9795355473

MIS Id. 08250001-- Property Id. 1J170003001

Latitude 25.33400834460

Longitude 83.01320835830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.25/57-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,547.0** व सामान्य कर **1,050.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,671.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 150	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.40	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,852.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,852.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,414.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Diwakar Mukharji S/O Sambhu Nath Mukharji

पता J.17/120-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170637-- Property Id. 1J170003002

Latitude 25.33400834460

Longitude 83.01320835830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 60,430.0 व सामान्य कर 9,065.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,300.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Clinic,GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 2200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.65	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,77,725.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,77,725.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	26,659.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKABAL AHMED KHAN S/O MAQSUD KHAN

पता J.17/120-3 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170636-- Property Id. 1J170004003

Latitude 25.33392906800

Longitude 83.01309506100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,611.0 व सामान्य कर 397.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 0,C= 1500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.65	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,51,470.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,51,470.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	22,721.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJI PRASAD GUPTA S/O SHRI PANNA LAL

पता J.17/120-A-2-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9839353078

MIS Id. 08170632-- Property Id. 1J170007001

Latitude 25.33414937730

Longitude 83.01292892670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-A-2-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 15,313.0 व सामान्य कर 1,684.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Residential,GF_Restaurant or	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1400,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.40	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	28,426.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	28,426.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,127.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD ISLAM S/O LATE AJAMAT ALI, NOORJAHAN BIBI W/O

पता J.17/155-A-1-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170599-- Property Id. 1J170009001

Latitude 25.33434438550

Longitude 83.01285180480

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/155-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **84,299.0** व सामान्य कर **12,645.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	968.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 968, C= 968	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	774.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.65	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,09,249.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,09,249.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	16,387.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NOORJAHAN BIBI JAUJEY MOHD ISLAM

पता J.17/155-N Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170595-- Property Id. 1J170010001

Latitude 25.33439552730

Longitude 83.01275441960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/155-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,982.0** व सामान्य कर **1,648.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,050.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Godown	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 2050	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.65	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,24,205.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,24,205.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	18,631.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUNNISA,MD.HANIF,AMANATULLA S/O LATE WALITULLA, MOHD.

पता J.17/155 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170590-- Property Id. 1J170011001

Latitude 25.33456238470

Longitude 83.01268645160

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/155 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **94,248.0** व सामान्य कर **14,137.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	4,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 2300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.65	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,32,254.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,32,254.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	34,838.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMNA BEGUM W/O MD HASIB, HAFIJULLAH MUBIN AHAMAD S/O

पता J.17/152 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170581-- Property Id. 1J170012001

Latitude 25.33466741290

Longitude 83.01246950010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/152 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **22,996.0** व सामान्य कर **2,530.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	5,436.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4212,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,370.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.40	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	33,966.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	33,966.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,736.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUNNISA, AMANATULLA S/O LATE

पता J.17/154 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170582-- Property Id. 1J170012002

Latitude 25.33466741290

Longitude 83.01246950010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/154 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **21,450.0** व सामान्य कर **2,360.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	5,436.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3996, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,197.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.40	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	32,224.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	32,224.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,545.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASHRAF ALI

पता J.17/143-A,146-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170562-- Property Id. 1J170023001

Latitude 25.33511856360

Longitude 83.01223225660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/143-A,146-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 9,302.0 व सामान्य कर 1,023.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,753.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2880,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,304.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.40	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	23,224.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	23,224.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,555.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD HARUN S/O HAJI NIYAMATULLAH

पता J.17/101-B-3 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170546-- Property Id. 1J170029002

Latitude 25.33548245390

Longitude 83.01190100550

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/101-B-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,603.0 व सामान्य कर 836.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,706.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 845,C= 559	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	676.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.65	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	64,479.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	64,479.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	9,672.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BAITULLAH S/O HAJI SAFIULLAH ALIAS SUFFUL HAJI

पता J.17/141-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170545A Property Id. 1J170031001

Latitude 25.33561864080

Longitude 83.01176508270

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/141-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 35,343.0 व सामान्य कर 3,888.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	4,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	1_Commercial Shop,2_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 0,C= 360	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.65	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	36,353.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	36,353.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,999.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAI PRAKASH GUPTA S/O LATE GANESH PRASAD SAHU

पता J.17/14-A-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170651B Property Id. 1J170035001

Latitude 25.33249103380

Longitude 83.01278944250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/14-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **30,894.0** व सामान्य कर **3,398.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,100.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3625,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,900.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	31,464.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	31,464.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,461.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUDAMA DEVI W/O SURAJ PRASAD GUPTA, AJAY KUMAR, VIJAY

पता J.17/14 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7275285270

MIS Id. 08170651-- Property Id. 1J170037001

Latitude 25.33255331510

Longitude 83.01280097200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/14 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 22,319.0 व सामान्य कर 2,455.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,300.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1000, C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	22,914.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	22,914.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,521.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VIJAY KUMAR,RAJ KUMAR SS/O LATE DASHAMI

पता J.17/36 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 6393885430

MIS Id. 08180208-- Property Id. 1J170038001

Latitude 25.33256905440

Longitude 83.01223067360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/36 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,379.0 व सामान्य कर 372.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	511.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	576.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,940.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,940.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	433.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMIULLA S/O HAZI MD.IBRAHIM,SAYARA BIBI,KHATUN

पता J.17/41 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180209-- Property Id. 1J170039001

Latitude 25.33257570340

Longitude 83.01216681000

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्याJ.17/41 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 14,489.0 व सामान्य कर 1,594.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3000,C= 500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	45,486.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	45,486.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	5,003.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट<http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHYAM DULARI W/O LATE JAGDISH PRASAD SAHU,RAJ

पता J.17/26 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180281-- Property Id. 1J170042001

Latitude 25.33255525430

Longitude 83.01245619320

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/26 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,282.0 व सामान्य कर 801.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1650,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,773.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,773.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,185.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SERAJUDDIN & MOINUDDIN & AMINUDDIN PESRAN HAJI MATIULLAH

पता J.17/15 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180289-- Property Id. 1J170044001

Latitude 25.33256252330

Longitude 83.01266815930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/15 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,329.0 व सामान्य कर 806.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,081.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,081.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,219.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHANDRAMA PRASAD GUPTA S/O LATE GANESH PRASAD SAHU

पता J.17/14-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170651A Property Id. 1J170045001

Latitude 25.33261341130

Longitude 83.01281187740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/14-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 29,179.0 व सामान्य कर 3,210.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1500,C= 1500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	95,418.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	95,418.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	14,313.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DAGAR S/O BABU LAL,MUMTAJ AHMAD,NURUL HODA SS/O

पता J.17/34 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180217-- Property Id. 1J170046001

Latitude 25.33263661480

Longitude 83.01220434960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्याJ.17/34 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,628.0** व सामान्य कर **509.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 0,C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	69,768.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	69,768.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	10,465.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट<http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JUNAID S/O HAJI ALI AHMAD

पता J.17/35 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180212-- Property Id. 1J170046002

Latitude 25.33263661480

Longitude 83.01220434960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/35 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,416.0** व सामान्य कर **1,036.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,008.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2520,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,016.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,789.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,789.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,517.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUNNISHA D/O MOHD.JAHIR HASAN,EKBAL AHMAD S/O SARDAR

पता J.17/13 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9506400035

MIS Id. 08180260-- Property Id. 1J170047001

Latitude 25.33265848190

Longitude 83.01283401250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/13 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,371.0 व सामान्य कर 481.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,566.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,566.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	722.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAJLE KARIM S/O HAJI MOHD.IBRAHIM

पता J.17/41-P Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8423555748

MIS Id. 08180209A Property Id. 1J170049001

Latitude 25.33261691060

Longitude 83.01205935860

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/41-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,642.0** व सामान्य कर **181.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	462.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,378.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,378.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	482.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRI PRASAD S/O LATE NANHKU SAO

पता J.17/28 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180279-- Property Id. 1J170050001

Latitude 25.33266742310

Longitude 83.01235607210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/28 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,924.0 व सामान्य कर 542.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400,C= 2400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,52,669.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,52,669.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	22,900.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJUL HAQ S/O LATE ZAHIR HASAN ALIAS HAJI MOHD.ZAHIR HASAN

पता J.17/13-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180261-- Property Id. 1J170053001

Latitude 25.33269195910

Longitude 83.01283817010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/13-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,566.0 व सामान्य कर 722.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1755,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,404.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,603.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,603.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,056.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAKIL AHMED KHAN,SUNIL AHMAD KHAN,PARVEJ AHMAD KHAN

पता J.17/25 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180291-- Property Id. 1J170054001

Latitude 25.33261093060

Longitude 83.01253173080

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/25 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,242.0** व सामान्य कर **577.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,251.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2880,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,304.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,759.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,759.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,733.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUL AABDIN, MOHD. MURSALIN SS/O HAJI HAFIJULLA

पता J.17/34-J Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180217A Property Id. 1J170055001

Latitude 25.33270928590

Longitude 83.01224597150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/34-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,129.0 व सामान्य कर 234.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	460.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 920, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	736.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,293.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,293.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	692.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.EHSAN,NESAR AHMAD,MUMTAJ AHMAD,NURUL

पता J.17/34-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180213-- Property Id. 1J170055002

Latitude 25.33270928590

Longitude 83.01224597150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/34-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,189.0** व सामान्य कर **461.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	576.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1152,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	922.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,304.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,304.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	693.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIR AHAMAD S/O LATE MOHD.SIDDIK

पता J.17/12-1-N Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180262-- Property Id. 1J170058003

Latitude 25.33272429980

Longitude 83.01284205360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/12-1-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,246.0 व सामान्य कर 247.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	523.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1008,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	806.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,516.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,516.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	607.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Shri Kamalesh Kumar

पता J.17/28-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180278-- Property Id. 1J170059001

Latitude 25.33272331580

Longitude 83.01236622630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/28-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,107.0** व सामान्य कर **452.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	837.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 880,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	704.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,019.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,019.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	662.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOMIONA KHATUN D/O LATE NASIBULLAH

पता J.17/16-M Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9044827632

MIS Id. 08180267C Property Id. 1J170061001

Latitude 25.33273143590

Longitude 83.01272143180

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/16-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,180.0** व सामान्य कर **130.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,634.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,634.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,040.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Sri Faruak

पता J.17/34-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180216-- Property Id. 1J170062001

Latitude 25.33274914250

Longitude 83.01225700670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/34-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,053.0** व सामान्य कर **446.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	480.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1140,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	912.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	23,680.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	23,680.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,605.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LALJI S/O KATVARU

पता J.17/30 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180274-- Property Id. 1J170065001

Latitude 25.33276523750

Longitude 83.01237675640

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/30 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,242.0** व सामान्य कर **577.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,755.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,755.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	963.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI AMAR NATH S/O LATE NANHKU RAM

पता J.17/29-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180277-- Property Id. 1J170065002

Latitude 25.33276523750

Longitude 83.01237675640

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/29-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,794.0 व सामान्य कर 637.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1050,C= 525	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	840.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	36,270.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	36,270.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,990.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAKIL AHMED KHAN, SUNIL AHMAD KHAN, PARVEJ AHMAD KHAN

पता J.17/24 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180286-- Property Id. 1J170066001

Latitude 25.33272873810

Longitude 83.01260500380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/24 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,761.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1024, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	819.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,603.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,603.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	616.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD HARUN S/O MOHD RAFIK SMT SAFIKUNISSA W/O MOHD HARUN

पता J.17/29-B-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180276-- Property Id. 1J170067001

Latitude 25.33281152820

Longitude 83.01238431720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/29-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 1,933.0 व सामान्य कर 213.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	480.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 960,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	768.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,253.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,253.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	578.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Shri Lalji Gupta

पता J.17/30-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180275-- Property Id. 1J170067002

Latitude 25.33281152820

Longitude 83.01238431720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/30-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 964.0 व सामान्य कर 106.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	906.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 264,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	211.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,445.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,445.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	159.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Smt Sakela

पता J.17/32-C Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180223-- Property Id. 1J170067003

Latitude 25.33281152820

Longitude 83.01238431720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/32-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,068.0 व सामान्य कर 557.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	906.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1386,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,109.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,584.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,584.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	834.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KESHAV,BALDEV S/O BATUK

पता J.17/33 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180218-- Property Id. 1J170067004

Latitude 25.33281152820

Longitude 83.01238431720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/33 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **805.0** व सामान्य कर **89.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	906.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 240,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	192.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,313.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,313.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	144.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Moh. Aaneish

पता J.12/11-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180264-- Property Id. 1J170068001

Latitude 25.33279044500

Longitude 83.01285177880

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.12/11-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,646.0** व सामान्य कर **401.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	480.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1440,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,152.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,880.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,880.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	867.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUKHDEV S/O BIHARI

पता J.17/33-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8004765026

MIS Id. 08180218A Property Id. 1J170069001

Latitude 25.33279501450

Longitude 83.01226217960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/33-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,517.0 व सामान्य कर 277.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	460.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 660,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	528.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,612.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,612.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	397.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Moh. Belal

पता J.17/33-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180219-- Property Id. 1J170069002

Latitude 25.33279501450

Longitude 83.01226217960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/33-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,736.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	497.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 468,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	374.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,561.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,561.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	282.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BASANT LAL
पता J.17/22 Alaipura South
नया वार्ड W060 Alaipura
MIS Id. 08180283-- Property Id. 1J170071001

पुराना वार्ड W036
Latitude 25.33277035080
मोबाईल नं० 8180131743
Longitude 83.01250086870

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/22 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,560.0 व सामान्य कर 502.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,387.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,387.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	813.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMDEI W/O LATE DEEPCHAND, SHIV PRASAD, SHIV PRASAD, BHOLA

पता J.17/56 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180195-- Property Id. 1J170072001

Latitude 25.33279195450

Longitude 83.01175315080

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/56 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,415.0** व सामान्य कर **266.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1500, C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,952.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,952.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,095.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD ASIF AKHTAR JAMAL PESRAN HAJI ABDUL SALAM

पता J.18/60 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180134-- Property Id. 1J170073001

Latitude 25.33280043920

Longitude 83.01170589240

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.18/60 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,990.0** व सामान्य कर **659.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	583.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1656,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,325.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,062.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,062.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	997.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUBHASH CHANDRA, RAJENDRA KUMAR, ISHVAR LAL, SANJAY KUMAR

पता J.17/32 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9455243903

MIS Id. 08180224-- Property Id. 1J170076001

Latitude 25.33284794140

Longitude 83.01227374690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/32 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,379.0 व सामान्य कर 372.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	540.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1220, C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	976.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	29,932.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	29,932.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,293.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHIRAGUL HASAN S/O LATE NASIBULLAH

पता J.17/16 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180267-- Property Id. 1J170077001

Latitude 25.33283310180

Longitude 83.01284755090

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/16 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,616.0 व सामान्य कर 618.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	754.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1508,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,206.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,252.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,252.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	908.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.YASIN S/O MATIULLA

पता J.17/11-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180266-- Property Id. 1J170077002

Latitude 25.33283310180

Longitude 83.01284755090

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/11-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	695.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1008,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	806.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,516.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,516.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	607.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM RASOOL S/O LATE NASIBULLAH

पता J.17/16-G Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8849908954

MIS Id. 08180267B Property Id. 1J170079001

Latitude 25.33285442070

Longitude 83.01274078260

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/16-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,554.0** व सामान्य कर **171.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 500,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	20,178.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	20,178.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,220.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKBAL AHAMD MOHD ILIYAS BELAL AHAMD MOHD IMRAN SS/O HAJI

पता J.17/49+17/50-A-E Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9935116115

MIS Id. 08180180-- Property Id. 1J170080001

Latitude 25.33283841070

Longitude 83.01198935110

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/49+17/50-A-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,530.0 व सामान्य कर 498.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1275,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,020.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,977.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,977.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	767.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BABULAL S/O NEUR, CHAMAN LAL S/O LATE SURESH KUMAR

पता J.17/56-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180173-- Property Id. 1J170081001

Latitude 25.33280278580

Longitude 83.01187808080

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/56-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,021.0** व सामान्य कर **552.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,890.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1360, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,088.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,442.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,442.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	819.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LAILUNNISA W/O LATE MOHD.IBRAHIM,MOHD.JAVED,MOHD.PARVEJ

पता J.17/2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180161-- Property Id. 1J170084001

Latitude 25.33285373270

Longitude 83.01262076230

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,158.0** व सामान्य कर **237.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,283.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,283.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	361.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAILASH S/O NANHAKU

पता J.17/21 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180285-- Property Id. 1J170086001

Latitude 25.33290655480

Longitude 83.01240078460

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/21 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,538.0 व सामान्य कर 279.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,774.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,774.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,625.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAILASH NATH S/O NANHAKU

पता J.17/31 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180273-- Property Id. 1J170086002

Latitude 25.33290655480

Longitude 83.01240078460

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/31 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,507.0 व सामान्य कर 496.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	946.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1254,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,003.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,862.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,862.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	755.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAK ALI MAHTO S/O SAFIULLAH

पता J.17/32-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8604348481

MIS Id. 08180295A Property Id. 1J170087001

Latitude 25.33290837250

Longitude 83.01228267790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/32-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	460.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 920,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	736.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,712.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,712.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	738.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMPATTI DEVI D/O KESHAV PRASAD

पता J.17/33-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180220-- Property Id. 1J170088001

Latitude 25.33286392060

Longitude 83.01220230880

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/33-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,472.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 432,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	346.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,364.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,364.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	260.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAKHREY ALALM S/O LATE MOHD

पता J.17/44-F Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8687552642

MIS Id. 08180221A Property Id. 1J170090001

Latitude 25.33292385030

Longitude 83.01210204530

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/44-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,594.0** व सामान्य कर **395.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	723.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1120,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	896.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,129.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,129.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	674.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NATHE RAM S/O NANHAK

पता J.17/9-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180269-- Property Id. 1J170092001

Latitude 25.33291722390

Longitude 83.01278169530

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/9-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,978.0** व सामान्य कर **438.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 800,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,634.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,634.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,040.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम YASIN

पता J.17/48 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

MIS Id. 08180167-- Property Id. 1J170093001

पुराना वार्ड W036

Latitude 25.33293958390

मोबाईल नं०

Longitude 83.01199372720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/48 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,182.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,661.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,661.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	843.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MATIN S/O ABDUL SHAKUR

पता J.17/17 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9151419617

MIS Id. 08180270-- Property Id. 1J170095001

Latitude 25.33293831610

Longitude 83.01270280280

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/17 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,541.0 व सामान्य कर 610.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,755.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,755.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	963.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम WANGUR,BARDI LAL,IQBAL AHMED,MOHD.

पता J.17/62 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180169-- Property Id. 1J170096001

Latitude 25.33296973700

Longitude 83.01178207340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/62 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	876.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1280,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,024.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,004.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,004.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	770.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.ISMAIL

पता J.17/46 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180225-- Property Id. 1J170099001

Latitude 25.33300872720

Longitude 83.01210837290

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/46 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,276.0** व सामान्य कर **690.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 850,C= 850	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	54,070.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	54,070.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	8,111.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.AAYASHA W/O RUKHSAR AHMAD

पता J.17/47 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7897608401

MIS Id. 08180168-- Property Id. 1J170100001

Latitude 25.33301875330

Longitude 83.01199963060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/47 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,616.0 व सामान्य कर 618.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 4700,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,760.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,462.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,462.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,021.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PRABHUKANT PANDEY ALIES RAJU,MADHUKAR PANDEY ALIES

पता J.17/10 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9369547870

MIS Id. 08180268-- Property Id. 1J170101001

Latitude 25.33295669740

Longitude 83.01289275140

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/10 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,059.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,100.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 550,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,010.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,010.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	331.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SITARAM S/O CHHOTAK

पता J.17/64 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

MIS Id. 08180166-- Property Id. 1J170102001

पुराना वार्ड W036

Latitude 25.33301120500

मोबाईल नं०

Longitude 83.01185568840

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/64 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,962.0** व सामान्य कर **326.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,856.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 806,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	645.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,410.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,410.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	485.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HUSNA BEGAM W/O PARVEJ KHAN

पता J.17/9 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180240-- Property Id. 1J170103001

Latitude 25.33300880450

Longitude 83.01280115540

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 11,288.0 व सामान्य कर 1,242.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	77,155.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	77,155.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	11,573.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHANDAN LAL KHATIK S/O LATE MUNNILAL

पता J.17/8 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9140848887

MIS Id. 08180239-- Property Id. 1J170104001

Latitude 25.33303287040

Longitude 83.01272218390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,226.0** व सामान्य कर **135.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 320,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	256.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,751.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,751.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	193.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAZI HASAN S/O KAZIM HUSSAIN

पता J.17/3 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

MIS Id. 08180236-- Property Id. 1J170106001

पुराना वार्ड W036

Latitude 25.33303707210

मोबाईल नं०

Longitude 83.01266375360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,883.0 व सामान्य कर 317.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	643.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,378.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,378.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	482.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHDEV,SUKKHU S/O KALLU,RAMJI(MINOR)U/G S/O PYARE LAL S/O

पता J.17/6 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180235-- Property Id. 1J170107002

Latitude 25.33304226850

Longitude 83.01262224160

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,092.0 व सामान्य कर 230.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	570.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 576,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	461.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,152.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,152.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	347.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Shakil Ahmed

पता J.17/24 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180282-- Property Id. 1J170108001

Latitude 25.33305312920

Longitude 83.01257856460

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/24 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	560.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 560,C= 560	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	448.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	37,665.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	37,665.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,143.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD MURSLIN MD MD YASIN MD MUSTKIM SS/O HAJI ABDUL RAUF

पता J.17/5-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180233-- Property Id. 1J170109001

Latitude 25.33306026180

Longitude 83.01252589030

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/5-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,504.0 व सामान्य कर 605.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	813.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1518,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,214.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,306.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,306.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	914.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASHOK KUMAR S/O NANHKU SAO

पता J.17/27 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9336910541

MIS Id. 08180280-- Property Id. 1J170111001

Latitude 25.33307681320

Longitude 83.01246430810

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/27 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,483.0** व सामान्य कर **1,153.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1500,C= 750	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	51,813.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	51,813.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	7,772.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIR AHMAD S/O HAJI NEK MOHMAMMAD MARHOOM

पता J.17/5 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180272-- Property Id. 1J170113001

Latitude 25.33309645170

Longitude 83.01238687930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 15,725.0 व सामान्य कर 1,730.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3000,C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	86,184.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	86,184.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	12,928.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMIT KUMAR GUPTA, ABHISHEK KUMAR GUPTA SS/O LATE KAILASH

पता J.17/5-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180232-- Property Id. 1J170113002

Latitude 25.33309645170

Longitude 83.01238687930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/5-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,344.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2184, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,747.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,951.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,951.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,315.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAHIRUDDIN, ABDUL SALAM SS/O HAJI NURUL HAQ

पता J.17/120-D-3 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9235512918

MIS Id. 08170650-- Property Id. 1J170114001

Latitude 25.33313548990

Longitude 83.01296584710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-D-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,774.0** व सामान्य कर **1,625.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800, C= 900	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	63,407.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	63,407.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	9,511.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUKKHU

पता J.17/120-D Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170652-- Property Id. 1J170115001

Latitude 25.33314338950

Longitude 83.01290468690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,218.0** व सामान्य कर **1,234.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	910.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1888,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,510.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,426.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,426.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,257.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKBAL AHMAD, ILIYASH AHMAD SS/O NURUL HAQ

पता J.17/43 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9918217480

MIS Id. 08180215-- Property Id. 1J170118001

Latitude 25.33316781180

Longitude 83.01228595250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/43 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,659.0** व सामान्य कर **1,062.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 5000, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,000.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,360.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,360.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,010.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PREM SWARUP

पता J.17/4-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8869919271

MIS Id. 08180229-- Property Id. 1J170118002

Latitude 25.33316781180

Longitude 83.01228595250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/4-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,866.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1050,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	840.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,746.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,746.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	632.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RADHE SHAYAM S/O SHEO SANKAR

पता J.17/4-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180227-- Property Id. 1J170118003

Latitude 25.33316781180

Longitude 83.01228595250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/4-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,101.0** व सामान्य कर **451.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2400,C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	86,184.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	86,184.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	12,928.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWAR ALI, ASIQ ALI

पता J.17/120 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8175851991

MIS Id. 08170587-- Property Id. 1J170119001

Latitude 25.33316110070

Longitude 83.01278764560

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **21,341.0** व सामान्य कर **2,348.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,300.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3765, C= 135	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,012.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	25,311.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	25,311.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,784.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.SHEELA DEVI W/O RAJAN JAISWAL RAJAN JAISWAL S/O GOPAL

पता J.17/120-D-4 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170654-- Property Id. 1J170119002

Latitude 25.33316110070

Longitude 83.01278764560

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-D-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,174.0** व सामान्य कर **349.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	182.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 364,C= 182	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	291.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,573.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,573.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,383.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BITTAN DEVI W/O LATE HARI MOHAN LAL, OM PRAKASH

पता J.17/4 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180228-- Property Id. 1J170124001

Latitude 25.33312636540

Longitude 83.01214258580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,220.0 व सामान्य कर 354.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	957.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 880, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	704.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,815.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,815.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	530.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAZI HASAN S/O KAZIM HUSSAIN

पता J.17/3 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180162-- Property Id. 1J170127002

Latitude 25.33315428580

Longitude 83.01202692210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,848.0** व सामान्य कर **1,853.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,318.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4574,C= 1186	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,659.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	93,983.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	93,983.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	14,097.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Sri Ebrahim Mistri

पता J.17/2-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180160-- Property Id. 1J170128001

Latitude 25.33319208190

Longitude 83.01191336350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 772.0 व सामान्य कर 85.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,364.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 216,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	173.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,182.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,182.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	130.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HARSH TANDAN S/O PRAKASH TANDAN

पता J.17/120-D-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170649-- Property Id. 1J170129001

Latitude 25.33325257650

Longitude 83.01288584620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-D-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **17,182.0** व सामान्य कर **1,890.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3200,C= 3200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,03,558.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,03,558.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	30,534.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOKIMULLAH JAWED AHAMAD MUSTKIM AHAMAD PARWEJ AHAMD

पता J.17/101-A-M Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180154-- Property Id. 1J170130001

Latitude 25.33327009000

Longitude 83.01191758100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/101-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,306.0 व सामान्य कर 474.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	781.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1152,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	922.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,304.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,304.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	693.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSHULHODA,ANWARULHODA

पता J.17/1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180156-- Property Id. 1J170130002

Latitude 25.33327009000

Longitude 83.01191758100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,739.0 व सामान्य कर 741.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	930.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1860,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,488.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,178.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,178.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,120.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.SAROJ W/O LATE UMASHANKAR,ANIL KUMAR,SUNIL

पता J.17/120-C Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170656-- Property Id. 1J170131001

Latitude 25.33321812890

Longitude 83.01268042690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,584.0** व सामान्य कर **1,494.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,720.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,000.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,680.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,680.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,505.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT MALIK SHRI KAILASH SHANKAR

पता J.17/120-B-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170657-- Property Id. 1J170132002

Latitude 25.33323236370

Longitude 83.01256363790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 33,126.0 व सामान्य कर 3,644.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,366.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 6192,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,954.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	33,883.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	33,883.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,727.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUSHMA DEVI W/O MANOJ GUPTA, NIRMALA DEVI W/O BHAGIRATHI

पता J.14/1- Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180158-- Property Id. 1J170133001

Latitude 25.33328323660

Longitude 83.01182292320

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.14/1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 9,850.0 व सामान्य कर 1,084.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,276.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1860, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,488.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.40	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,999.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,999.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,650.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम UMASHANKAR S/O VISHWANATH

पता J.17/67+68 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170659-- Property Id. 1J170134001

Latitude 25.33325069710

Longitude 83.01239416800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/67+68 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 19,412.0 व सामान्य कर 2,135.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	6,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2400,C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	82,901.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	82,901.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	12,435.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAVI SHANKAR S/O VISHWANATH PRASAD

पता J.17/66 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170658-- Property Id. 1J170134002

Latitude 25.33325069710

Longitude 83.01239416800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/66 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 15,062.0 व सामान्य कर 1,657.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,618.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2808,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,246.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,365.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,365.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,690.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAHAR BANO MD. RAFIQ KHA

पता J.17/70+70-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170693-- Property Id. 1J170137001

Latitude 25.33333459650

Longitude 83.01210892180

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/70+70-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,387.0 व सामान्य कर 813.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,510.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,510.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,926.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWAR AHAMD S/O MOHD NUR

पता J.17/71,70-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170696-- Property Id. 1J170138001

Latitude 25.33335206490

Longitude 83.01203663190

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/71,70-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,948.0** व सामान्य कर **874.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1000,C= 800	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	51,984.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	51,984.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	7,798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAPAHINA PARVIN W/O ALIMUDDIN

पता J.17/78 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170660-- Property Id. 1J170139001

Latitude 25.33335918320

Longitude 83.01236253940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/78 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 20,794.0 व सामान्य कर 2,287.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,118.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3840,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,072.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,012.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,012.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,311.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Baddaruddin S/o Mohd Yusuf

पता J.17/71,70-B-1-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170697-- Property Id. 1J170140001

Latitude 25.33336819440

Longitude 83.01197426470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/71,70-B-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,491.0** व सामान्य कर **714.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,566.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,566.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	722.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AZIZUDDIN, ABDUL KUDDUS, SHABBIR AHMED, NISAR AHMED S/O

पता J.17/69 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170687-- Property Id. 1J170141001

Latitude 25.33339345480

Longitude 83.01221493110

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/69 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 12,640.0 व सामान्य कर 1,390.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,666.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2400, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,133.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,133.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,445.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IRFAN BIBI W/O HAJI ABDUL SALAM

पता J.17/120-F-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170664-- Property Id. 1J170142001

Latitude 25.33336882690

Longitude 83.01291286630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-F-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,104.0** व सामान्य कर **451.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,817.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 760,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	608.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,159.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,159.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	457.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.IBRAHIM S/O MD.ISHAHAQ

पता J.17/71-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170699A Property Id. 1J170144001

Latitude 25.33340007150

Longitude 83.01189579250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/71-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,914.0 व सामान्य कर 321.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 340,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	272.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,955.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,955.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	325.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Ali Akabar S/o Abdul Hakim

पता J.17/71,71,70-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170698-- Property Id. 1J170145001

Latitude 25.33343697630

Longitude 83.01203798770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/71,71,70-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,690.0** व सामान्य कर **186.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,779.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 312,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	250.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,707.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,707.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	188.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMULL,KALIMULLA

पता J.17/71-G Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170699-- Property Id. 1J170145002

Latitude 25.33343697630

Longitude 83.01203798770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/71-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,914.0** व सामान्य कर **321.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,779.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 540,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	432.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,955.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,955.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	325.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.SALIM,MD.NASIM & MOINUDDIN SS/O ABDUL GAFFAR

पता J.17/71 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170695-- Property Id. 1J170145003

Latitude 25.33343697630

Longitude 83.01203798770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/71 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,746.0 व सामान्य कर 632.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,779.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1056,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	845.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,778.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,778.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	636.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Kuraisha Biwi

पता J.17/70-B-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170694-- Property Id. 1J170145004

Latitude 25.33343697630

Longitude 83.01203798770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/70-B-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **841.0** व सामान्य कर **93.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,779.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 160,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	128.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	876.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	876.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	96.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DAULAT BIBI NASIBULLAH

पता J.17/80 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9329387236

MIS Id. 08170662-- Property Id. 1J170148001

Latitude 25.33348098110

Longitude 83.01239575070

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/80 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,472.0** व सामान्य कर **602.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,605.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,605.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,047.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AZIZUDDIN,MUKHTAR AHMAD SS/O ISARARUL AHQUE

पता J.17/77-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170686-- Property Id. 1J170149001

Latitude 25.33347855190

Longitude 83.01223804220

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/77-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,755.0** व सामान्य कर **963.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,617.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3840,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,072.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,012.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,012.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,311.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Mutak Ahmed S/o Haji Fateh Mohmmad

पता J.17/75-M Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170704-- Property Id. 1J170149002

Latitude 25.33347855190

Longitude 83.01223804220

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/75-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,854.0** व सामान्य कर **1,304.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,617.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2184,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,747.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,951.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,951.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,315.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMLA PRASAD SAROJ S/O LATE MOTI LAL SAROJ

पता J.35/118 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9328423729

MIS Id. 08350369-- Property Id. 1J170150001

Latitude 25.33354199530

Longitude 83.01240732870

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.35/118 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,962.0 व सामान्य कर 326.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,925.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,925.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	542.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANISHA BANO W/O LATE ABDUL AJIJ KHAN

पता J.17/76-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170700-- Property Id. 1J170152001

Latitude 25.33354568540

Longitude 83.01197813610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/76-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,772.0** व सामान्य कर **745.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	418.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1254,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,003.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,862.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,862.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	755.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NISAR AHMED D/O HAZI FATEH MOHAMMED

पता J.17/74 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170701-- Property Id. 1J170154002

Latitude 25.33354422250

Longitude 83.01201028470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/74 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,666.0 व सामान्य कर 403.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	687.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 680,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	544.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,721.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,721.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	409.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUNNISA W/O ABDUL SALIM, KURAISHA BIBI W/O

पता J.17/75 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170702-- Property Id. 1J170157002

Latitude 25.33352959110

Longitude 83.01212659570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/75 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,678.0** व सामान्य कर **1,615.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,720.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2688,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,150.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,709.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,709.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,618.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Girija Bhulai

पता J.17/12-A-1-CH Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170643-- Property Id. 1J170159002

Latitude 25.33357213340

Longitude 83.01292004880

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/12-A-1-CH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,293.0** व सामान्य कर **1,242.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,154.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2112,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,690.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,557.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,557.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,271.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DAULAT BIBI,NASIBULLA,KALIMULLA

पता J.17/81- Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170663-- Property Id. 1J170160003

Latitude 25.33359867910

Longitude 83.01241593570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/81- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 14,610.0 व सामान्य कर 1,607.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,368.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2736,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,189.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,971.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,971.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,647.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASAMTULLA S/O LATE YAKINULLHA

पता J.17/83-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170665-- Property Id. 1J170164001

Latitude 25.33361286510

Longitude 83.01279683430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/83-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 21,737.0 व सामान्य कर 2,391.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,490.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3996,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,197.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,866.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,866.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,405.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ESTIYAK AHAMAD EMTIYAZ AHAMAD S/O HAFIZ SLIMULLAH ALLAIS

पता J.17/83-K-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170671-- Property Id. 1J170166001

Latitude 25.33362987840

Longitude 83.01268402340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/83-K-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,075.0 व सामान्य कर 558.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,635.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 968,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	774.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,297.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,297.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	583.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIM AHAMD S/O HAFIJ AMIRULLA

पता J.17/83-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170666-- Property Id. 1J170166002

Latitude 25.33362987840

Longitude 83.01268402340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/83-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,104.0** व सामान्य कर **451.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,635.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2516,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,013.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,768.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,768.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,514.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHAMPA DEVI W/O JHANNA LAL

पता J.17/120-A-1-4 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08250010-- Property Id. 1J170167001

Latitude 25.33366192370

Longitude 83.01315363560

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-A-1-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,543.0** व सामान्य कर **390.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,472.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,472.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	602.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINULLA S/O HAMIDULLA

पता J.17/83-3-KH Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170674-- Property Id. 1J170168001

Latitude 25.33366135320

Longitude 83.01259670610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/83-3-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,977.0 व सामान्य कर 767.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	638.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1320,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,056.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,223.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,223.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	795.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAID AHMED,SAFI AHMED S/O MOGISULLA,IRASAD

पता J.17/83-4-G Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170672-- Property Id. 1J170168002

Latitude 25.33366135320

Longitude 83.01259670610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/83-4-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,446.0 व सामान्य कर 489.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	990.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2970,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,376.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,252.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,252.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,788.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAFI UDDIN KALIMUDDIN ALIMUDDIN

पता J.17/87-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170706-- Property Id. 1J170169002

Latitude 25.33366761270

Longitude 83.01224655430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/87-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,099.0 व सामान्य कर 891.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,543.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1518, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,214.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,306.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,306.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	914.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKABAL AHMED S/O LATE RAFIULLA

पता J.17/87 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170705-- Property Id. 1J170170001

Latitude 25.33366783460

Longitude 83.01211455220

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/87 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,651.0 व सामान्य कर 512.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_< 120Sq.Ft Commercials	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 150,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	31,840.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	31,840.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,502.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PREMATH S/O LATE VISHWANATH SRI SURAJPAL VISHWANATH,

पता J.25/58-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08250013-- Property Id. 1J170171001

Latitude 25.33361098730

Longitude 83.01327071940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.25/58-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,552.0** व सामान्य कर **1,381.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,150.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 2200,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,760.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,133.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,133.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,445.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHEOSANKAR GUPTA S/O SATYANARAYAN GUPTA ETC...

पता J.25/59-C Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08250012-- Property Id. 1J170171002

Latitude 25.33361098730

Longitude 83.01327071940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.25/59-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,885.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 468,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	374.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,561.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,561.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	282.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD ARIF ABDUL RAJJAK MURAD ALI S/O GULAB BABU

पता J.17/90 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170712-- Property Id. 1J170174001

Latitude 25.33367257250

Longitude 83.01197219110

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/90 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,003.0 व सामान्य कर 880.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	754.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1508,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,206.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,252.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,252.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	908.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAND LAL, LATE BIHARI LAL

पता J.17/120-A-5 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170642-- Property Id. 1J170177001

Latitude 25.33371395780

Longitude 83.01316176270

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-A-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,923.0 व सामान्य कर 652.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	760.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1575,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,260.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,618.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,618.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	948.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MANNAN, ABDUL

पता J.17/120-A-1-Z Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9335801259

MIS Id. 08170635-- Property Id. 1J170181001

Latitude 25.33372040650

Longitude 83.01298016410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-A-1-Z के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,925.0** व सामान्य कर **542.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0, C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	69,768.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	69,768.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	10,465.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Santosh Kumari

पता J.17/120-A-2-A-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9369451631

MIS Id. 08250008-- Property Id. 1J170183001

Latitude 25.33375515570

Longitude 83.01317187690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-A-2-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,042.0** व सामान्य कर **335.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 945,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	756.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,171.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,171.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	569.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Smt. Jawa Khatun s/o Janudeen

पता J.17/120-A-28 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08250007-- Property Id. 1J170183002

Latitude 25.33375515570

Longitude 83.01317187690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-A-28 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,474.0** व सामान्य कर **162.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	501.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 432,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	346.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,364.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,364.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	260.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Hanuman Mandir

पता J.17/82 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9825603892

MIS Id. 08170677-- Property Id. 1J170184001

Latitude 25.33372227580

Longitude 83.01239869760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/82 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,599.0** व सामान्य कर **286.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,850.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,850.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,084.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SVALEH S/O ALAUDDIN

पता J.17/120-A-2-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170634A Property Id. 1J170185001

Latitude 25.33378593380

Longitude 83.01317457450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-A-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,283.0** व सामान्य कर **361.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1050,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	840.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,746.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,746.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	632.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHANNU PESAR S/O BABOO SAO

पता J.25/59-C-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8174933319

MIS Id. 08250011-- Property Id. 1J170186001

Latitude 25.33378085140

Longitude 83.01328903020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.25/59-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,654.0** व सामान्य कर **292.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,472.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,472.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	602.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHBOOB ALI S/O LATE KHALILURRAHMAN

पता J.17/83-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170669-- Property Id. 1J170190001

Latitude 25.33377285490

Longitude 83.01259344250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/83-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,430.0 व सामान्य कर 707.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,156.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2312,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,850.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,651.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,651.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,392.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AASHIYA KHATUN W/O MUSTAK AHAMED

पता J.17/83-K-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170678-- Property Id. 1J170191001

Latitude 25.33378051140

Longitude 83.01251861810

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/83-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,999.0 व सामान्य कर 660.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,054.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1140,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	912.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,238.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,238.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	686.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUNNISA,SAMIULLA

पता J.17/83 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170679-- Property Id. 1J170194001

Latitude 25.33383570270

Longitude 83.01240549190

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/83 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,765.0** व सामान्य कर **744.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,050.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 1050	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	61,047.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	61,047.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	9,157.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAZID

पता J.17/84 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170681-- Property Id. 1J170195002

Latitude 25.33380910060

Longitude 83.01229774220

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/84 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,798.0** व सामान्य कर **308.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	898.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 528,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	422.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,889.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,889.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	318.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAJIR AHMAD S/O SARDAR MOHD.YASIN

पता J.17/86-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9302586927

MIS Id. 08170707-- Property Id. 1J170196001

Latitude 25.33382857840

Longitude 83.01212827240

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/86-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 11,998.0 व सामान्य कर 1,320.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1400,C= 800	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	54,173.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	54,173.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	8,126.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUDDIN

पता J.17/92 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 6393876144

MIS Id. 08170710-- Property Id. 1J170197001

Latitude 25.33384492230

Longitude 83.01199021740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/92 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,861.0** व सामान्य कर **1,305.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,100.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1900,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,520.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,839.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,839.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,062.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम URMILA DEVI W/O SRI SADANAND PRASAD SAHU

पता J.25/57 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08250002-- Property Id. 1J170198001

Latitude 25.33383509170

Longitude 83.01329960460

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.25/57 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,600.0** व सामान्य कर **1,166.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Godown	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 900	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.65	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	54,529.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	54,529.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	8,179.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VINDHYACHALI DEVI W/O GIRIJA SHANKAR

पता J.17/120-A-1-7 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9415446560

MIS Id. 08250006-- Property Id. 1J170199001

Latitude 25.33383950880

Longitude 83.01318845350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-A-1-7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,110.0 व सामान्य कर 892.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2250,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,312.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,312.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,354.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RADHA DEVI W/O MANGEU YADAV

पता J.17/120-A-1-6 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08250005-- Property Id. 1J170199002

Latitude 25.33383950880

Longitude 83.01318845350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-A-1-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,728.0 व सामान्य कर 630.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,167.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1386,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,109.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,532.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,532.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	939.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.MUNNI DEVI W/O SHRI KANAHAIYA LAL

पता J.17/120-A-1-KH Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170638-- Property Id. 1J170200001

Latitude 25.33387473160

Longitude 83.01304733490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-A-1-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 10,288.0 व सामान्य कर 1,132.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	926.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1950,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,670.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,670.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,174.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAM ADHAR SARMA S/O LATE BHAGWAN SARMA & BAL KRISHNA

पता J.17/120-A-1-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170639-- Property Id. 1J170201001

Latitude 25.33388278810

Longitude 83.01293526850

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/120-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,357.0** व सामान्य कर **1,029.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1725,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,380.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,439.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,439.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,038.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALAUDDIN S/O MOHD.YUSUF

पता J.17/86 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9336925429

MIS Id. 08170708-- Property Id. 1J170203001

Latitude 25.33391874500

Longitude 83.01214901600

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/86 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,133.0** व सामान्य कर **1,445.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1600,C= 1600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,01,779.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,01,779.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	15,267.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSMT SAMSUNISSA W/O HAJI BARKAT ALI

पता J.17/97 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9682363279

MIS Id. 08170615-- Property Id. 1J170207001

Latitude 25.33392064090

Longitude 83.01226026770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/97 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,379.0 व सामान्य कर 702.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,850.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,850.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,084.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAZIR AHAMAD AAFTAB AHAMAD MUKHTAR AHAMAD ANSAR

पता J.17/117-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170624-- Property Id. 1J170207002

Latitude 25.33392064090

Longitude 83.01226026770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/117-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 19,186.0 व सामान्य कर 2,110.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,623.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3570,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,856.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,535.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,535.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,149.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSU DOHA S/O HARUN

पता J.17/117-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170629-- Property Id. 1J170208001

Latitude 25.33395643060

Longitude 83.01235191430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/117-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,788.0** व सामान्य कर **527.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1500,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	25,650.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	25,650.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,822.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIYAMTULLAH, BARKATULLA, YASEEN SS/O

पता J.17/124 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170622-- Property Id. 1J170210001

Latitude 25.33404648950

Longitude 83.01238754280

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/124 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,755.0 व सामान्य कर 963.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,098.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1656, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,325.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,062.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,062.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	997.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.YAKUB,MD.ISMAIL

पता J.17/126 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170623-- Property Id. 1J170211001

Latitude 25.33405379440

Longitude 83.01227337190

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/126 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,253.0 व सामान्य कर 578.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,388.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 968,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	774.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,297.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,297.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	583.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMZAN ALI S/O MAHMOODUL HASAN ALIAS HAFIZ MAHMOOD

पता J.17/96-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8960575998

MIS Id. 08170616-- Property Id. 1J170220001

Latitude 25.33421925790

Longitude 83.01208824960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/96-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,283.0 व सामान्य कर 361.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_< 120Sq.Ft Commercials	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 300,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	240.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,014.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,014.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,652.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.SALIM,MD.AYUB,MD.YAKUB,YAKUB S/O IDRIS

पता J.17/117 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170600-- Property Id. 1J170222001

Latitude 25.33413615110

Longitude 83.01269944070

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्याJ.17/117 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,944.0** व सामान्य कर **1,204.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	12,014.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2048,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,638.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,207.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,207.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,233.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट<http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIB AHMAD S/O HAJI GULAM RASOOL

पता J.17/130-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9451137363

MIS Id. 08170607-- Property Id. 1J170224001

Latitude 25.33430730080

Longitude 83.01239696620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/130-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,650.0 व सामान्य कर 622.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2500,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,000.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	25,308.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	25,308.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,784.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NEK MOHAMMED,NASIRULLA

पता J.17/129 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170608-- Property Id. 1J170225001

Latitude 25.33431667950

Longitude 83.01234527610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/129 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,537.0** व सामान्य कर **279.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 750,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,104.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,104.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	451.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NEK MOHAMMED,NASIRULLA

पता J.17/128 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9836522057

MIS Id. 08170609-- Property Id. 1J170226001

Latitude 25.33433582810

Longitude 83.01229900620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/128 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,505.0** व सामान्य कर **166.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,189.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,189.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	241.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Baddare Alam

पता J.17/128-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170610-- Property Id. 1J170227001

Latitude 25.33432613360

Longitude 83.01225978030

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/128-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,505.0** व सामान्य कर **166.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	625.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 625,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	500.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,420.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,420.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	376.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUDOHA S/O JAINUL ABDIN

पता J.17/127-S Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170613-- Property Id. 1J170228001

Latitude 25.33429332980

Longitude 83.01219081020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/127-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,725.0** व सामान्य कर **410.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,081.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,081.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,219.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALI AHAMAD S/O HAZI GULAM RASOOL

पता J.17/127-N-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170614-- Property Id. 1J170228002

Latitude 25.33429332980

Longitude 83.01219081020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/127-N-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,208.0 व सामान्य कर 903.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,250.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 6500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	5,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	35,568.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	35,568.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,912.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.YAKUB,WAHIRUNNISHA & OTHERS

पता J.17/127 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9795286650

MIS Id. 08170612-- Property Id. 1J170229001

Latitude 25.33432479800

Longitude 83.01210025810

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/127 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,442.0 व सामान्य कर 819.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,850.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,850.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,084.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BENI PRASAD YADAV S/O MUNISHAWAR PRASAD YADAV

पता J.17/164-B-2-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170365-- Property Id. 1J170236001

Latitude 25.33442034770

Longitude 83.01755113570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-B-2-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,953.0** व सामान्य कर **435.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,472.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,472.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	602.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUKIMULLA JAWED AHAMAD PARWEJ AHAMAD MOHD MUSTKIM

पता J.17/133-A-M Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170576-- Property Id. 1J170237001

Latitude 25.33444236160

Longitude 83.01211137900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/133-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 12,038.0 व सामान्य कर 1,324.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,122.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial Shop,2_<	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1078,C= 1122	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	862.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	70,237.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	70,237.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	10,536.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAZ ALI S/O HAFIJ KHURSID ALI MARHUM

पता J.17/133 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9798637860

MIS Id. 08170574-- Property Id. 1J170238001

Latitude 25.33451484660

Longitude 83.01208985320

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/133 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,208.0 व सामान्य कर 903.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,944.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,944.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,204.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM ALI S/O MAHABOOB ALI

पता J.17/133-1-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170572-- Property Id. 1J170238002

Latitude 25.33451484660

Longitude 83.01208985320

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/133-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,238.0** व सामान्य कर **686.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,224.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial Shop,2_<	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1197,C= 2475	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	958.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,49,348.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,49,348.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	22,402.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI SHAMSUL HAQUE S/O GARIBUL HASAN MARHUM

पता J.17/164-B-2- Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9839047255

MIS Id. 08170364-- Property Id. 1J170240001

Latitude 25.33446627540

Longitude 83.01756098620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-B-2- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,888.0** व सामान्य कर **978.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1000,C= 500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	35,226.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	35,226.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,875.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI NAIMULLA MUKI MULLA JAVED AHAMAD PARWEJ AHAMAD

पता J.17/156+156-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170584-- Property Id. 1J170241002

Latitude 25.33452146190

Longitude 83.01235153660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/156+156-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,164.0** व सामान्य कर **1,118.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,463.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1936,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,549.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,594.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,594.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,165.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GAYTRI DEVI W/O LATE RAM AWTAR GUPTA & RAM SIROMANI

पता J.17/164-B-3 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170366-- Property Id. 1J170246001

Latitude 25.33450764450

Longitude 83.01757353340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-B-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,566.0 व सामान्य कर 722.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1400,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,755.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,755.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	963.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Mithai Lal

पता J.16/164-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170363-- Property Id. 1J170246002

Latitude 25.33450764450

Longitude 83.01757353340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/164-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	990.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 990,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	792.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,417.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,417.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	596.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI NARSINGH S/O MAGARA DEVI RUKAMNI DEVI W/O LATE

पता J.17/164-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7688349252

MIS Id. 08170393-- Property Id. 1J170250001

Latitude 25.33457384530

Longitude 83.01736427140

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,549.0** व सामान्य कर **500.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	486.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 486	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	28,256.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	28,256.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,108.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AZIZUL HIQ SAMSUL HIQ ISHTIYAK ALI S/O LATE HAJI MUBARAK ALI

पता J.17/148-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170577-- Property Id. 1J170251001

Latitude 25.33465083000

Longitude 83.01225505990

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/148-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,941.0 व सामान्य कर 324.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,351.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 576,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	461.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,152.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,152.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	347.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM HUSSAIN S/O KHALILURAHMAN,BISMILLAH,NASIBULLAH S/O

पता J.17/148 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170578-- Property Id. 1J170251002

Latitude 25.33465083000

Longitude 83.01225505990

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/148 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 14,678.0 व सामान्य कर 1,615.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,852.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2700,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,774.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,774.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,625.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PUSPA DEVI W/O LATE RAGHUNATH PRASAD & SANTOSH KUMAR &
पता J.17/164-C-R Alaipura South
नया वार्ड W060 Alaipura पुराना वार्ड W036 मोबाईल नं० 8840937802
MIS Id. 08170362-- Property Id. 1J170253001 Latitude 25.33463095520 Longitude 83.01757245380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,884.0** व सामान्य कर **1,637.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1500,C= 1500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,416.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,416.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,806.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHID ALI S/O ABDUL HAKIMULLAH

पता J.17/146-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170570-- Property Id. 1J170254001

Latitude 25.33469902960

Longitude 83.01207447220

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/146-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,788.0** व सामान्य कर **527.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,221.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 602,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	482.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,802.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,802.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	528.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUDDIN MOHD DIN OTHERS

पता J.17/169-B-4 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170385-- Property Id. 1J170256001

Latitude 25.33466100000

Longitude 83.01725924110

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-B-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,178.0** व सामान्य कर **570.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,755.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,755.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	963.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BALIULLA JULI SABNAM SAMA GULNAJ & MANTASA MINOR D/O

पता J.17/169-A-4 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170369-- Property Id. 1J170256002

Latitude 25.33466100000

Longitude 83.01725924110

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,120.0** व सामान्य कर **233.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,170.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 408,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	326.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,233.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,233.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	246.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANSAR AHAMAD S/O SAMSUDOHA

पता J.17/164-B-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170367A Property Id. 1J170257001

Latitude 25.33467030260

Longitude 83.01744137890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-B-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,736.0 व सामान्य कर 301.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1300,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,040.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	26,334.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	26,334.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,897.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FIROJA BIBI W/O ABDUL HAKIM,SAHABUDDIN S/O HAJI ABDUL

पता J.17/187-A-1-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170367-- Property Id. 1J170257002

Latitude 25.33467030260

Longitude 83.01744137890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-1-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,651.0** व सामान्य कर **512.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	803.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 864,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	691.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,728.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,728.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	520.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOH.AYUB ALLAIS LALLU

पता J.17/164-B-4 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170368-- Property Id. 1J170258001

Latitude 25.33464778890

Longitude 83.01731110570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-B-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,784.0 व सामान्य कर 856.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1600,C= 1600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,01,779.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,01,779.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	15,267.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUNISHA W/O BADRUHOJA LAILUNISHA W/O HAFIJULLA

पता J.17/164-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170428-- Property Id. 1J170259001

Latitude 25.33467923950

Longitude 83.01739214820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,921.0 व सामान्य कर 321.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,566.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,566.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	722.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOH. MOBIN, MAJIDUNISA, AJIJUNISHA

पता J.17/169-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8957368221

MIS Id. 08170371-- Property Id. 1J170261001

Latitude 25.33472297610

Longitude 83.01713260590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,174.0** व सामान्य कर **1,449.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,510.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,510.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,926.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAITUNISSA W/O SRI MUKHTAR AHAMD

पता J.17/169-X-3-J Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170389-- Property Id. 1J170261002

Latitude 25.33472297610

Longitude 83.01713260590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-X-3-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,104.0** व सामान्य कर **451.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,815.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1728,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,382.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,456.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,456.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,040.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HEERA LAL S/O MEWALAL
पता J.17/187-B-17-A Alaipura South
नया वार्ड W060 Alaipura
MIS Id. 08170360-- Property Id. 1J170262001

पुराना वार्ड W036 मोबाईल नं०
Latitude 25.33477967120 Longitude 83.01762459160

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-17-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,208.0 व सामान्य कर 903.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1000,C= 500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,542.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,542.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,800.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Barkatulla

पता J.17/169-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170390-- Property Id. 1J170263001

Latitude 25.33477931320

Longitude 83.01702578280

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,075.0** व सामान्य कर **558.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 650,C= 325	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	520.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	22,453.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	22,453.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,470.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWAR ALI, ASIQ ALI

पता J.17/147 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170568-- Property Id. 1J170264001

Latitude 25.33483325390

Longitude 83.01222816340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/147 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **28,441.0** व सामान्य कर **3,129.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	4,032.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 5244, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,195.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	28,695.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	28,695.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,156.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BARKATULLAH,AMIR ALI,GULAM ALI

पता J.17/145 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8318546324

MIS Id. 08170551-- Property Id. 1J170268001

Latitude 25.33487488830

Longitude 83.01201326940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/145 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 24,624.0 व सामान्य कर 2,709.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 6000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	32,832.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	32,832.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,612.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Nisar Ahmed

पता J.17/246 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170565-- Property Id. 1J170268002

Latitude 25.33487488830

Longitude 83.01201326940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/246 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 6000,C= 3000	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,41,588.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,41,588.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	21,238.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWAR KHAN,MEHARUNNISHA

पता J.17/45 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170556-- Property Id. 1J170268003

Latitude 25.33487488830

Longitude 83.01201326940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/45 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,033.0** व सामान्य कर **554.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	4,692.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3570,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,856.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,977.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,977.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,417.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MABUL HASAN JAHIR AHAMAD

पता J.17/164-B-5 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170372-- Property Id. 1J170269001

Latitude 25.33485221340

Longitude 83.01717321970

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-B-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 22,750.0 व सामान्य कर 2,503.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	24,624.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	24,624.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,709.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAHID JAMAL,AARIF JAMAL SS/O ABDUL MAJID

पता J.17/164-F-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9795318807

MIS Id. 08170383-- Property Id. 1J170269002

Latitude 25.33485221340

Longitude 83.01717321970

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-F-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,234.0 व सामान्य कर 466.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,566.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,566.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	722.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Ramajaan

पता J.17/169-F Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170384-- Property Id. 1J170270001

Latitude 25.33488037130

Longitude 83.01705052910

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,157.0** व सामान्य कर **1,117.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,520.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,397.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,397.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,144.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GOVIND VISHVAKARMA, GOPAL VISHVAKARMA, KANHAIYA

पता J.17/187-A-1-D Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170358A Property Id. 1J170271001

Latitude 25.33486510360

Longitude 83.01769899350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-1-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,208.0 व सामान्य कर 903.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	672.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,850.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,850.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,084.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.YASIN S/O RAMATULLA

पता J.17/179-L-6 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170380-- Property Id. 1J170277001

Latitude 25.33494050840

Longitude 83.01732711520

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-L-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,224.0 व सामान्य कर 245.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,387.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,387.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	813.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASID, ABDUL MATIN

पता J.17/143 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9897677785

MIS Id. 08170558-- Property Id. 1J170280001

Latitude 25.33503763730

Longitude 83.01205418990

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/143 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,542.0** व सामान्य कर **1,050.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2000, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,944.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,944.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,204.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IAKARAMULLA S/O HAZI KALLU

पता J.17/179-L-5-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170375-- Property Id. 1J170281001

Latitude 25.33486220890

Longitude 83.01752989450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-L-5-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 13,133.0 व सामान्य कर 1,445.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,044.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 6300,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	5,040.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,474.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,474.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,792.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOH. YASIN ALIRAJA S/O LATE RAHAMTULLA, NURJAH BIBI

पता J.17/169-C Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170382-- Property Id. 1J170284001

Latitude 25.33497215250

Longitude 83.01718828460

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,987.0 व सामान्य कर 769.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1000, C= 1000	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	64,296.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	64,296.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	9,644.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Itjar Ahamad

पता J.17/169-A-5 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170387-- Property Id. 1J170286001

Latitude 25.33498738150

Longitude 83.01698889610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-A-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,059.0** व सामान्य कर **776.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,292.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1292,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,034.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,070.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,070.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	778.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALI HUSSAIN S/O KHALILURAHMAN

पता J.17/143-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170560-- Property Id. 1J170288001

Latitude 25.33509123860

Longitude 83.01205623670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/143-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,900.0** व सामान्य कर **869.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,178.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1456,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,165.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,967.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,967.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	876.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI MD.YAKUB

पता J.17/179-L Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170357-- Property Id. 1J170290001

Latitude 25.33496104410

Longitude 83.01776656710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-L के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,003.0** व सामान्य कर **880.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,208.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,208.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	903.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUBAHAN ALI S/O RAMJAN ALI,AJIJURRAHMAN S/O SUBAHAN

पता J.17/143-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9924326928

MIS Id. 08170553-- Property Id. 1J170292001

Latitude 25.33508860500

Longitude 83.01188308080

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/143-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 15,595.0 व सामान्य कर 1,715.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400,C= 800	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	59,645.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	59,645.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	8,947.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.UTA ULLA S/O SALAMTULLA

पता J.17/179-L-8 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170379-- Property Id. 1J170293001

Latitude 25.33503733850

Longitude 83.01734017390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-L-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,449.0 व सामान्य कर 269.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	987.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 468,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	374.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,561.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,561.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	282.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Mohamad Atatulla

पता J.17/79-L-8 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9936890522

MIS Id. 08170347-- Property Id. 1J170298001

Latitude 25.33509100780

Longitude 83.01730962900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/79-L-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,498.0** व सामान्य कर **165.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 500,C= 500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	31,806.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	31,806.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,499.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RADHIKA DAS

पता J.17/179-L-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170356-- Property Id. 1J170301003

Latitude 25.33503846010

Longitude 83.01783611410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-L-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,586.0** व सामान्य कर **1,384.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,251.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2352,C= 2400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,882.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,52,406.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,52,406.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	22,861.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NESAR AHMED

पता J.17/169-B-6 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170343-- Property Id. 1J170303001

Latitude 25.33509081950

Longitude 83.01701381100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-B-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,389.0** व सामान्य कर **1,473.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,120.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2240,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,792.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,789.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,789.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,517.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Mohamad Ayub

पता J.17/162-H-1-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170352-- Property Id. 1J170305001

Latitude 25.33510469880

Longitude 83.01738847410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-H-1-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,495.0** व सामान्य कर **384.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1600,C= 1600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,01,779.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,01,779.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	15,267.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Smt Durga Devi

पता J.17/187-J-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170281-- Property Id. 1J170308001

Latitude 25.33508008580

Longitude 83.01798369640

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-J-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,047.0** व सामान्य कर **445.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,428.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 680,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	544.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,186.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,186.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	460.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMAD YAKUB S/O MD.ILIYAS

पता J.17/162-H-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170349-- Property Id. 1J170309001

Latitude 25.33513867690

Longitude 83.01730998550

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-H-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,093.0** व सामान्य कर **230.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,283.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,283.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	361.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHI NARAYAN PRASAD GULAB PRASAD S/O SOMARU

पता J.17/187-A-1-- Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9415303728

MIS Id. 08170358A Property Id. 1J170311001

Latitude 25.33512470660

Longitude 83.01804814130

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-1-- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,363.0 व सामान्य कर 590.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,850.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,850.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,084.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NOR MOHAMMAD & GHULAM RASOOL MAIMUNNISA BAJBUNNISA

पता J.17/164-4-A-N Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170339-- Property Id. 1J170313001

Latitude 25.33513301430

Longitude 83.01670873680

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-4-A-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,283.0** व सामान्य कर **361.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,227.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 924,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	739.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,056.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,056.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	556.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALAUDDIN S/O HAJI BARAKATULLAH

पता J.17/164-13-A-1-S Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170337-- Property Id. 1J170314001

Latitude 25.33515506460

Longitude 83.01641742250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-13-A-1-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,840.0** व सामान्य कर **752.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 700,C= 350	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,997.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,997.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,870.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUKHDEI W/O LATE SHOBHNATH SRI SHIV SANKAR UMA SANKAR S/O

पता J.17/187-A-9 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170277-- Property Id. 1J170318001

Latitude 25.33517203570

Longitude 83.01807976760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,598.0** व सामान्य कर **396.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2000,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,200.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,200.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,762.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSAMMIYAT MOHD.SWALEH,SALIM JAVED SS/O LATE HAJI ABU

पता J.17/169-P-K-S Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170336-- Property Id. 1J170319001

Latitude 25.33519320820

Longitude 83.01652386660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-P-K-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,378.0 व सामान्य कर 262.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	890.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1944,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,555.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,297.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,297.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,463.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUDDIN S/O LATE SAMSUDHA

पता J.17/169-A-3-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170346-- Property Id. 1J170323001

Latitude 25.33520917460

Longitude 83.01732636320

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-A-3-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,133.0** व सामान्य कर **345.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,584.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,283.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,283.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	361.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Makbul Hassan--

पता J.17/179-1-5 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170353-- Property Id. 1J170324001

Latitude 25.33516175940

Longitude 83.01748987630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-1-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,247.0** व सामान्य कर **467.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,983.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 780,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	624.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,268.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,268.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	469.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KITABUDDIN S/O MD. SHAFI

पता J.17/162-F-1-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170327A Property Id. 1J170327002

Latitude 25.33522482740

Longitude 83.01693844710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-F-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,570.0** व सामान्य कर **173.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,009.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 264,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	211.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,625.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,625.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	179.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANVARUL HIQ

पता J.17/169-A-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9369135109

MIS Id. 08170324-- Property Id. 1J170329001

Latitude 25.33521115890

Longitude 83.01714115970

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,208.0** व सामान्य कर **903.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,944.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,944.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,204.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.ANSAR S/O LATE ABDUL GAFFAR

पता J.17/169-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7839086619

MIS Id. 08170323-- Property Id. 1J170330001

Latitude 25.33522340020

Longitude 83.01706625090

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,429.0** व सामान्य कर **487.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1000,C= 500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,542.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,542.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,800.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Makbul Hassan

पता J.17/169-C-F Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170325-- Property Id. 1J170330002

Latitude 25.33522340020

Longitude 83.01706625090

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-C-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,437.0** व सामान्य कर **378.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	896.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 504,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	403.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,447.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,447.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	379.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.SHAMSUNNISA W/O LATE ABDUL RASHID,SHAKIL AHMAD,JAMIL
पता J.17/187-D Alaipura South
नया वार्ड W060 Alaipura पुराना वार्ड W036 मोबाईल नं०
MIS Id. 08170282-- Property Id. 1J170331001 Latitude 25.33518527610 Longitude 83.01792525430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,940.0 व सामान्य कर 433.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,100.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2900,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,497.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,497.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,025.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Shri Narsingh

पता J.17/164-F-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170395-- Property Id. 1J170334001

Latitude 25.33528613150

Longitude 83.01631632230

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-F-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,297.0** व सामान्य कर **363.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	624.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 624,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	499.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,415.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,415.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	376.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI ALIMUDDIN S/O MOHD.SHAKOOR

पता J.17/169-B-GH Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170333-- Property Id. 1J170335001

Latitude 25.33526628110

Longitude 83.01667283930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-B-GH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 16,204.0 व सामान्य कर 1,782.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	990.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2970,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,376.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,252.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,252.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,788.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHANTI DEVI W/O SRI RAMSEWAK SINGH

पता J.17/187-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170287-- Property Id. 1J170336001

Latitude 25.33524370590

Longitude 83.01770177050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,104.0** व सामान्य कर **1,001.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,133.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,133.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,445.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMAD HAFIZ S/O MD. EBRAHIM

पता J.17/187-A-13-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9682892813

MIS Id. 08170291-- Property Id. 1J170337001

Latitude 25.33526184480

Longitude 83.01758792480

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-13-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,540.0** व सामान्य कर **499.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 600,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	38,578.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	38,578.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,244.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIZULLA S/O MOH.YAKUB

पता J.17/187-A-14-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170292-- Property Id. 1J170337002

Latitude 25.33526184480

Longitude 83.01758792480

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-14-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,595.0 व सामान्य कर 615.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	836.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1056,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	845.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,778.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,778.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	636.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAFIUREHMAN S/O ABDUL SAKUR

पता J.17/187-A-13 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9580087694

MIS Id. 08170290-- Property Id. 1J170352001

Latitude 25.33532245410

Longitude 83.01761748570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-13 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,019.0 व सामान्य कर 662.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 600,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	38,167.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	38,167.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,198.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GARIB HASSAN

पता J.17/169-F-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170328-- Property Id. 1J170354001

Latitude 25.33529274000

Longitude 83.01679687000

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-F-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,504.0** व सामान्य कर **825.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 950,C= 475	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	760.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	32,815.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	32,815.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,610.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKBAL AHAMD S/O HAJI GULAM MOHAMMAD

पता J.17/169-D-1-P Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170331-- Property Id. 1J170355001

Latitude 25.33530812350

Longitude 83.01673824090

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-D-1-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,472.0** व सामान्य कर **602.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,566.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,566.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	722.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Madul Hak

पता J.17/162-B-G-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170332-- Property Id. 1J170355002

Latitude 25.33530812350

Longitude 83.01673824090

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-B-G-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,063.0** व सामान्य कर **557.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,206.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 836,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	669.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,146.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,146.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	566.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Hazi Phool Sher Khan

पता J.17/162-G-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170330-- Property Id. 1J170355003

Latitude 25.33530812350

Longitude 83.01673824090

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-G-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,002.0 व सामान्य कर 660.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,206.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 880,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	704.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,019.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,019.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	662.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GAFUR S/O MOHAMMAD ISMAIL

पता J.17/187-B-1- Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9140121699

MIS Id. 08170288-- Property Id. 1J170356001

Latitude 25.33532589430

Longitude 83.01774497690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,595.0 व सामान्य कर 615.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 700,C= 350	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	42,613.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	42,613.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,687.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम anjuman jamatul mansoor jariye sachiv mustak ahmad advocate

पता J.17/183-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9335472531

MIS Id. 08170116A Property Id. 1J170360001

Latitude 25.33531814000

Longitude 83.01803914480

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 65,698.0 व सामान्य कर 9,855.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	9,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 13500,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	10,800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	75,616.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	75,616.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	11,342.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Baau Ahemad

पता J.17/187-A-13-G Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7007530345

MIS Id. 08170289-- Property Id. 1J170364001

Latitude 25.33538359220

Longitude 83.01764757890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-13-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,065.0** व सामान्य कर **887.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1200,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	41,450.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	41,450.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,560.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDULLAH S/O HAJI SAFIULLA ALIAS SUFFUL HAJI

पता J.17/141-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9905403654

MIS Id. 08170545-- Property Id. 1J170374001

Latitude 25.33547042980

Longitude 83.01177664390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/141-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **19,699.0** व सामान्य कर **2,167.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,436.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3272,C= 1600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,618.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,10,928.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,10,928.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	16,639.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL REHMAN, SAFIUREHMAN S/O KAMRUDDIN

पता J.17/164-D-P Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170400-- Property Id. 1J170375001

Latitude 25.33541666510

Longitude 83.01625390430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-D-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,691.0** व सामान्य कर **626.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	528.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1056,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	845.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,778.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,778.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	636.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KASHINATH ALIAS KASHIRAM S/O LATE VINDRA

पता J.17/164-C-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170409-- Property Id. 1J170378001

Latitude 25.33542249600

Longitude 83.01596018070

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,283.0** व सामान्य कर **361.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,736.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 754,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	603.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,126.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,126.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	454.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUBSATI S/O ABDUL GANI

पता J.17/164-D-6 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170411-- Property Id. 1J170378002

Latitude 25.33542249600

Longitude 83.01596018070

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-D-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,503.0** व सामान्य कर **275.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,736.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 462,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	370.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,528.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,528.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	278.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SAMI S/O LATE MD.AMIN

पता J.17/162-H Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170320-- Property Id. 1J170380001

Latitude 25.33542038620

Longitude 83.01699111090

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,498.0** व सामान्य कर **825.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	742.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1104,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	883.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,551.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,551.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	831.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SIDDIKULLA

पता J.17/164-C-10 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170399-- Property Id. 1J170382001

Latitude 25.33543545980

Longitude 83.01618781630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-10 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,203.0 व सामान्य कर 242.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	636.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 432,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	346.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,364.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,364.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	260.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VISHWANATH PRASAD S/O BHUNESHWAR RAM

पता J.17/164-B-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170398-- Property Id. 1J170385001

Latitude 25.33544577900

Longitude 83.01614361330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,830.0** व सामान्य कर **421.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	812.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 812,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	650.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,443.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,443.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	489.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Mariyam

पता J.17/164-D-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170408-- Property Id. 1J170391001

Latitude 25.33549840480

Longitude 83.01608614870

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-D-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,802.0** व सामान्य कर **528.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	865.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 880,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	704.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,815.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,815.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	530.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIYA BIBI W/O ABDUL RAHIM KAMARUDDIN S/O ABDUL RAHIM

पता J.17/162-H-1-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170319-- Property Id. 1J170395001

Latitude 25.33546815890

Longitude 83.01685893310

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-H-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,736.0** व सामान्य कर **301.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,250.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Industrial Unit	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1250,C= 1250	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,000.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	50,445.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	50,445.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	7,567.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI HABIBULLA S/O SFIJULLA

पता J.17/162-G-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170318-- Property Id. 1J170395002

Latitude 25.33546815890

Longitude 83.01685893310

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-G-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,501.0 व सामान्य कर 495.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,319.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 836,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	669.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,575.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,575.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	503.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.ANVAR SAFIURAHMAN

पता J.17/164-K-1-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170403-- Property Id. 1J170398001

Latitude 25.33551794590

Longitude 83.01631711660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-K-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,599.0** व सामान्य कर **286.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,148.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 504,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	403.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,758.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,758.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	303.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI LAKHAN SAHU S/O BHAGELU

पता J.17/189-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170261-- Property Id. 1J170399001

Latitude 25.33547140360

Longitude 83.01821868400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/189-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 20,725.0 व सामान्य कर 2,280.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3400,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	53,489.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	53,489.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	8,023.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAHIDA BIBI ZAMIL AHAMAD EKHLAK AHAMAD EMTEYAJ AHAMAD

पता J.17/183-D-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8302376299

MIS Id. 08170269A Property Id. 1J170401001

Latitude 25.33551345460

Longitude 83.01794009460

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-D-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 11,081.0 व सामान्य कर 1,219.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1200,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	73,462.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	73,462.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	11,019.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMAD MOBIL, MOHAMAD VAIS SS/O LATE ALI RJA

पता J.17/164-C-5 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170412-- Property Id. 1J170402001

Latitude 25.33554772830

Longitude 83.01584114630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,398.0** व सामान्य कर **484.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,237.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 836,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	669.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,575.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,575.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	503.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAFIYA BIBI KHALILURAHMAN W/O S/O HAZI VASIRULLA VAHIDA

पता J.17/183-D Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170263-- Property Id. 1J170403001

Latitude 25.33549954860

Longitude 83.01779316040

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,442.0 व सामान्य कर 819.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1000,C= 1000	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	63,612.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	63,612.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	9,542.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Mohamad Aarif

पता J.17/164-K-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170404-- Property Id. 1J170404001

Latitude 25.33554874800

Longitude 83.01620860770

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,998.0** व सामान्य कर **1,320.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,496.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2262,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,810.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,378.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,378.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,362.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSMT MADINA BEGUM W/O RASIUDDIN

पता J.17/162-A-4-F-3 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170315-- Property Id. 1J170407001

Latitude 25.33554333170

Longitude 83.01676299730

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-A-4-F-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,955.0** व सामान्य कर **875.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,379.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1520,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,216.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,317.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,317.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	915.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIYAJ AHMED S/O MD SAFI SAMSUL HAK S/O MD SULEMAN

पता J.17/164-D-7 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170405-- Property Id. 1J170409001

Latitude 25.33558270410

Longitude 83.01612494900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-D-7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,495.0** व सामान्य कर **384.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	669.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 639,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	511.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,497.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,497.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	385.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.HARUN MOSAMYAT TAHIR

पता J.17/164-C-9-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170407-- Property Id. 1J170409002

Latitude 25.33558270410

Longitude 83.01612494900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-9-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,404.0 व सामान्य कर 594.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	666.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1012,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	810.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,538.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,538.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	609.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Shakil Ahmed

पता J.17/176-A-M Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170308-- Property Id. 1J170410001

Latitude 25.33558378180

Longitude 83.01645272280

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/176-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,378.0** व सामान्य कर **482.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,208.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 810,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	648.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,432.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,432.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	488.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Afzulla

पता J.17/164-A-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170414-- Property Id. 1J170418001

Latitude 25.33560745400

Longitude 83.01572661930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-A-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,754.0** व सामान्य कर **1,073.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	896.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1792,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,434.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,806.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,806.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,079.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AFTAB AHMAD NAJIR AHMAD

पता J.17/187-B-3- Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7499428334

MIS Id. 08170266-- Property Id. 1J170420001

Latitude 25.33558155340

Longitude 83.01806598390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-3- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,117.0** व सामान्य कर **1,113.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	1_Commercial Shop,2_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 0,C= 2400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.40	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,05,632.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,05,632.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	30,845.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Makiful Hazi

पता J.17/164-E Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170432-- Property Id. 1J170423001

Latitude 25.33562579400

Longitude 83.01630101300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 11,395.0 व सामान्य कर 1,253.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,056.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2112,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,690.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,557.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,557.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,271.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALLA RAM S/O MUNNI GAUN,GANGA RAM,RADHA DEVI S/O D/O LATE

पता J.17/189-B-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7678947453

MIS Id. 08170258-- Property Id. 1J170425001

Latitude 25.33564185380

Longitude 83.01841942590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/189-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,695.0** व सामान्य कर **956.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 725,C= 725	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	580.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	46,615.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	46,615.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	5,128.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMIR AHMED S/O SERAJUDDIN

पता J.17/164-D-5 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170431-- Property Id. 1J170427001

Latitude 25.33566513990

Longitude 83.01598461490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-D-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,304.0 व सामान्य कर 913.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	528.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1584,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,267.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,668.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,668.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	953.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMIL AHAMD S/O YAR MOHAMMAD JAWED AHAMD PARWEJ AHAMD

पता J.17/164-D-3-C-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170433-- Property Id. 1J170429001

Latitude 25.33567603650

Longitude 83.01632531780

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-D-3-C-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,497.0 व सामान्य कर 275.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	482.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 380,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	304.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,599.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,599.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	286.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALI AHAMAD S/O MD.EBRAHIM

पता J.17/187-B-14-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170307-- Property Id. 1J170430001

Latitude 25.33565428580

Longitude 83.01647319170

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-14-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,755.0 व सामान्य कर 963.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,067.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1624,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,299.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,887.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,887.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	978.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI MOHAMMAD YASIN S/O HAJI HAMEED

पता J.17/164-D-4-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170435-- Property Id. 1J170433001

Latitude 25.33566493420

Longitude 83.01622753020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-D-4-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,944.0** व सामान्य कर **1,204.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,332.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2664,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,131.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,577.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,577.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,603.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Hakim

पता J.17/183-K-D Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170267-- Property Id. 1J170437001

Latitude 25.33565496080

Longitude 83.01812185760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-K-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **22,692.0** व सामान्य कर **2,496.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1600,C= 3200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,96,992.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,96,992.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	29,549.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MATIN S/O LATE HAJI MOHD UMAR & SMT HAJJIN REHANA

पता J.17/187-B-1+187-B-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170305-- Property Id. 1J170438001

Latitude 25.33569648350

Longitude 83.01662676650

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-1+187-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,302.0** व सामान्य कर **1,023.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	702.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1404,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,123.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,603.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,603.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,056.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LACHCHHO DEVI W/O LATE NAGADU RAM, GORAKHNATH

पता J.17/164-C Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170415-- Property Id. 1J170441001

Latitude 25.33565597870

Longitude 83.01564652640

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 9,850.0 व सामान्य कर 1,084.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,260.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3366, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,693.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,419.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,419.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,026.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAJ AHAMAD MD.SALIM

पता J.17/164-C-4 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170430-- Property Id. 1J170442001

Latitude 25.33570975390

Longitude 83.01590408180

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,897.0 व सामान्य कर 539.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	550.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 936,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	749.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,122.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,122.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	563.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT CHINTU DEVI W/O VIJAY KUMAR

पता J.17/189-B-3 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8381987822

MIS Id. 08170257-- Property Id. 1J170447001

Latitude 25.33568811480

Longitude 83.01845461270

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/189-B-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 16,501.0 व सामान्य कर 1,815.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1500,C= 750	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	53,865.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	53,865.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	8,080.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHASHIBHUSHAN SINGH S/O GOVARDHAN SINGH, GOVIND LAL

पता J.17/164-D-8-8 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170439-- Property Id. 1J170448001

Latitude 25.33571527720

Longitude 83.01606962890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-D-8-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,391.0** व सामान्य कर **483.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	562.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 836, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	669.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,575.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,575.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	503.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GUJJAN JHINGUR

पता J.17/164-C-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170429-- Property Id. 1J170450001

Latitude 25.33573383260

Longitude 83.01585305820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,746.0** व सामान्य कर **632.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,088.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1088,C= 1088	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	870.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	69,210.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	69,210.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	10,382.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJULLA MUS VASHIRUNNISA

पता J.17/183-C-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170270-- Property Id. 1J170451001

Latitude 25.33565200370

Longitude 83.01798350330

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,842.0** व सामान्य कर **1,083.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 800	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	51,437.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	51,437.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	7,716.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GANI S/O HAZI ABDUL HIQ

पता J.17/189-B-2-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170259-- Property Id. 1J170452001

Latitude 25.33562566930

Longitude 83.01829795490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/189-B-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,925.0** व सामान्य कर **542.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Industrial Unit,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 400,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,416.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,416.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,806.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Late Sardar Mohmmaddin

पता J.17/164-D-5-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170416-- Property Id. 1J170455001

Latitude 25.33571477110

Longitude 83.01551298470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-D-5-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,118.0** व सामान्य कर **1,553.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,050.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2604,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,083.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,249.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,249.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,567.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAYRA BANO AAFTAB AHAMAD

पता J.17/164-D-3-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170434-- Property Id. 1J170456001

Latitude 25.33573329950

Longitude 83.01630148800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-D-3-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,661.0 व सामान्य कर 843.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	909.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1404,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,123.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,683.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,683.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	845.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD MONIDIIN AHMAD MOBIN AHAMD S/O MEHBOOB ALI

पता J.17/164-C-K-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170437-- Property Id. 1J170459001

Latitude 25.33575348620

Longitude 83.01617355450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,387.0 व सामान्य कर 813.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	624.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1248,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	998.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,683.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,683.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	845.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Mohd Samir

पता J.17/164-15-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170417-- Property Id. 1J170466001

Latitude 25.33574561970

Longitude 83.01545241830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-15-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,831.0** व सामान्य कर **1,521.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,264.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2604,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,083.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,249.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,249.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,567.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHZADI BEGUM W/O RAZZAB ALI 9MINOR) D/O SHABNAM,SHABANA

पता J.17/164-C-12-S Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170418-- Property Id. 1J170471001

Latitude 25.33577646580

Longitude 83.01539064390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-12-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 19,056.0 व सामान्य कर 2,096.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,190.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3570,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,856.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,535.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,535.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,149.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAK ALI
पता J.17/183-C-2 Alaipura South
नया वार्ड W060 Alaipura
MIS Id. 08170273-- Property Id. 1J170473001

पुराना वार्ड W036 मोबाईल नं० 9335082876
Latitude 25.33575327280 Longitude 83.01788736240

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-C-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,736.0** व सामान्य कर **301.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 600,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	38,167.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	38,167.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,198.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SHAKOOR S/O TEJAI

पता J.17/187-A-14 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8601373187

MIS Id. 08170292A Property Id. 1J170474001

Latitude 25.33582090470

Longitude 83.01554517250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-14 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,189.0** व सामान्य कर **241.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,283.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,283.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	361.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Samasuddin

पता J.17/164-B-6 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170425-- Property Id. 1J170474002

Latitude 25.33582090470

Longitude 83.01554517250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-B-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,825.0** व सामान्य कर **311.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	270.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 540,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	432.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,955.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,955.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	325.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ISHRAT JAHAN W/O RASHID JAMAL KHAN

पता J.17/187-A-14-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7860664426

MIS Id. 08170293-- Property Id. 1J170475001

Latitude 25.33580469400

Longitude 83.01560379830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-14-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,001.0** व सामान्य कर **440.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,050.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1050,C= 1050	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	840.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	67,511.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	67,511.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	10,127.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Movin Ahemad

पता J.17/164-C-K-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170438-- Property Id. 1J170476001

Latitude 25.33580103690

Longitude 83.01611794060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-K-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,387.0 व सामान्य कर 813.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	624.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1248,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	998.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,683.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,683.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	845.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUKHTAR AHAMAD S/O LATE SAFIULLA

पता J.17/189-B-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170256-- Property Id. 1J170482001

Latitude 25.33576504010

Longitude 83.01825932740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/189-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 23,940.0 व सामान्य कर 2,633.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2200,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,760.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,360.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,360.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,010.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAHJAHAN BIBI MINOR SS/O MOHD JUBAIR SAMSUDDIN MINOR SS/O

पता J.17/164-D-8 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170440-- Property Id. 1J170484001

Latitude 25.33581658360

Longitude 83.01604552370

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-D-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,200.0 व सामान्य कर 462.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	658.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 810,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	648.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,432.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,432.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	488.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD. AYAUB ANSARI

पता J.17/164-C-13 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170419-- Property Id. 1J170487001

Latitude 25.33581296140

Longitude 83.01531723500

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-13 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,129.0** व सामान्य कर **124.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,356.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 216,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	173.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,182.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,182.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	130.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJAN ALI S/O SHAMSUDOHA

पता J.17/183-A-S Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7499428334

MIS Id. 08170122-- Property Id. 1J170491001

Latitude 25.33580797620

Longitude 83.01707375800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-A-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,283.0** व सामान्य कर **361.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 0,C= 2400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,39,536.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,39,536.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	20,930.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Haidar Ali, Imam Ali, Safdar Ali SS/O Gulam Ali

पता J.17/178-B-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8081009161

MIS Id. 08170497B Property Id. 1J170492001

Latitude 25.33584397250

Longitude 83.01524782380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/178-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 1,231.0 व सामान्य कर 135.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_&l	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 160, C= 80	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	128.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,271.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,271.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	250.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIULLAH S/O HABIBULLAH

पता J.17/183-D-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7275822380

MIS Id. 08170269-- Property Id. 1J170495001

Latitude 25.33584327080

Longitude 83.01803173710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-D-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,694.0** व सामान्य कर **406.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 400,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	25,718.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	25,718.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,829.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKHLAK AHMAD S/O JUMMAN

पता J.17/187-A-14-C Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7905111985

MIS Id. 08170295-- Property Id. 1J170498001

Latitude 25.33583122640

Longitude 83.01596382430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-14-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,227.0** व सामान्य कर **1,565.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,100.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2100,C= 2100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,33,585.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,33,585.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	20,038.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIJ SIDDIKI ULLA

पता J.17/187-B-14-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170306-- Property Id. 1J170500001

Latitude 25.33586789710

Longitude 83.01655434540

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-14-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,218.0** व सामान्य कर **1,234.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,710.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3420,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,736.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,714.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,714.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,059.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIJULA HASSAN

पता J.17/164-C-11 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170441-- Property Id. 1J170501001

Latitude 25.33585420410

Longitude 83.01585784640

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-11 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 15,404.0 व सामान्य कर 1,694.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 0,C= 2800	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,62,792.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,62,792.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	24,419.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL AZIK S/O HAFIJ ABDUL SHAKUR

पता J.17/162-B-X Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170455-- Property Id. 1J170504001

Latitude 25.33586023250

Longitude 83.01616948230

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-B-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,813.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,596.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 418,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	334.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,859.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,859.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	314.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Jamil Ahmed S/o Ali Hasan

पता J.17/164-C-4-F Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170424-- Property Id. 1J170507001

Latitude 25.33591169970

Longitude 83.01543302740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-4-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,120.0 व सामान्य कर 233.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,296.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,296.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	803.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Kamaru Nisha

पता J.17/161-15 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170422-- Property Id. 1J170507002

Latitude 25.33591169970

Longitude 83.01543302740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/161-15 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,648.0** व सामान्य कर **181.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,081.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 320,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	256.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,751.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,751.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	193.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD EKRAM S/O HAFIJULLAH

पता J.17/183-A-J Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9336063239

MIS Id. 08170121-- Property Id. 1J170508001

Latitude 25.33587080170

Longitude 83.01709824690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-A-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 816.0 व सामान्य कर 90.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,577.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 150,C= 150	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,747.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,747.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,072.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD EAJ S/O HAFIJULLAH

पता J.17/183-A-J-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170121A Property Id. 1J170508003

Latitude 25.33587080170

Longitude 83.01709824690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-A-J-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 816.0 व सामान्य कर 90.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,577.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Vland)	GF_Vacant Plot	
3	भवन का प्रकार	Not Applicable	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 0,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	946.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	946.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	104.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SHAMIM S/O MOHD.AHMAD

पता J.17/183-A-J-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170121C Property Id. 1J170508004

Latitude 25.33587080170

Longitude 83.01709824690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-A-J-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 816.0 व सामान्य कर 90.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,577.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Vland)	GF_Vacant Plot	
3	भवन का प्रकार	Not Applicable	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 0,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	946.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	946.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	104.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD SAMIM S/O HAFIJULLAH

पता J.17/183-A-J-S Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170121B Property Id. 1J170508007

Latitude 25.33587080170

Longitude 83.01709824690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-A-J-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 816.0 व सामान्य कर 90.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,577.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Vland)	GF_Vacant Plot	
3	भवन का प्रकार	Not Applicable	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 0,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	946.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	946.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	104.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIBULLA S/O ABDUL KADIR

पता J.17/164-C-15 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170442-- Property Id. 1J170511001

Latitude 25.33589957730

Longitude 83.01577282000

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-15 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **18,714.0** व सामान्य कर **2,059.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,748.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3496,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,797.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,130.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,130.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,104.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Abdul Kayum

पता J.17/169-B-3 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170459-- Property Id. 1J170512001

Latitude 25.33593329330

Longitude 83.01632832990

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-B-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,566.0** व सामान्य कर **722.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 970,C= 230	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	776.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,680.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,680.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,055.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.EKRAM,ABDUL SALAM,IKBAL,RAJAN,SANNO SS/O D/O LATE

पता J.17/164-C-8-D Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170445-- Property Id. 1J170517001

Latitude 25.33593300190

Longitude 83.01570911970

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-8-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,283.0** व सामान्य कर **361.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	438.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 640,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,502.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,502.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	385.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMAD HASAN

पता J.17/178-D Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170494-- Property Id. 1J170518001

Latitude 25.33590211140

Longitude 83.01513873010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/178-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,409.0** व सामान्य कर **155.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,601.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 288,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	230.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,576.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,576.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	173.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAHANSHAH KAMAL S/O HASHMAT KAMAL

पता J.17/187-D-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170495-- Property Id. 1J170518002

Latitude 25.33590211140

Longitude 83.01513873010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-D-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 20,185.0 व सामान्य कर 2,220.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,601.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,976.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	20,356.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	20,356.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,239.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUDDIN S/O SALAMTULLA

पता J.17/183-A-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8564030910

MIS Id. 08170111C Property Id. 1J170533001

Latitude 25.33594096920

Longitude 83.01677746760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,448.0** व सामान्य कर **269.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2400,C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	86,184.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	86,184.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	12,928.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUKHTAR AHMED

पता J.17/183-A-1-K- Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170116-- Property Id. 1J170533002

Latitude 25.33594096920

Longitude 83.01677746760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-A-1-K- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 15,390.0 व सामान्य कर 1,693.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_In	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 900	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	43,708.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	43,708.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,808.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM SARVAR S/O RAMJAN ALI

पता J.17/169-B-7 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170453-- Property Id. 1J170535001

Latitude 25.33596828920

Longitude 83.01604997730

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-B-7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,049.0** व सामान्य कर **445.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 400,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	25,445.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	25,445.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,799.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Nasim Akhtar

पता J.17/169-B-7-E Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170452-- Property Id. 1J170535002

Latitude 25.33596828920

Longitude 83.01604997730

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-B-7-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,695.0** व सामान्य कर **296.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,384.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 504,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	403.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,758.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,758.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	303.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Nazbul Nisha

पता J.17/187-A-12 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7668076176

MIS Id. 08170458-- Property Id. 1J170536001

Latitude 25.33600823540

Longitude 83.01631258570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-12 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 15,301.0 व सामान्य कर 1,683.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 400,C= 2400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,41,725.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,41,725.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	21,259.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAFIK,KAMRUDDIN SIRAJUDDIN S/O HAZI MD.ISAMAIL

पता J.17/161-A-2-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9335493427

MIS Id. 08170448-- Property Id. 1J170539001

Latitude 25.33603430360

Longitude 83.01565679710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/161-A-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,948.0** व सामान्य कर **544.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 630,C= 210	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	504.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,087.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,087.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,770.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Jafar Husain

पता J.17/171 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170421-- Property Id. 1J170541001

Latitude 25.33598058270

Longitude 83.01529267450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/171 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 11,998.0 व सामान्य कर 1,320.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2000,C= 1000	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	69,084.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	69,084.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	10,363.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Navi Hasan

पता J.17/178-D-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170493-- Property Id. 1J170541002

Latitude 25.33598058270

Longitude 83.01529267450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/178-D-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,587.0** व सामान्य कर **725.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,816.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1248,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	998.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,829.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,829.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	751.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Mohd. Harun Mujjafar Hussain

पता J.17/164-C-14-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170420-- Property Id. 1J170541003

Latitude 25.33598058270

Longitude 83.01529267450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-14-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,633.0** व सामान्य कर **290.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,816.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 504,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	403.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,758.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,758.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	303.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.FIRDAUS BANO W/O MOHD.IMTEYAJ

पता J.17/189-B-F-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170253-- Property Id. 1J170543001

Latitude 25.33594248540

Longitude 83.01862259920

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/189-B-F-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,488.0** व सामान्य कर **384.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 1500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	87,210.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	87,210.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	13,082.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Asif Ali

पता J.17/169-A-6 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170450-- Property Id. 1J170544002

Latitude 25.33600514050

Longitude 83.01586758530

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-A-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 18,003.0 व सामान्य कर 1,980.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2400,C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	82,901.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	82,901.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	12,435.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUKTAR ALI S/O MOHD.HUSAIN ALIAS CHHOTAK

पता J.17/178-4-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170492-- Property Id. 1J170549001

Latitude 25.33608292010

Longitude 83.01520858760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/178-4-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,409.0** व सामान्य कर **155.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	748.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 264,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	211.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,445.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,445.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	159.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN S/O SEKH MOHAMMAD

पता J.17/164-C-15-N Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170447-- Property Id. 1J170552002

Latitude 25.33605465680

Longitude 83.01576464650

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/164-C-15-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,472.0 व सामान्य कर 602.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	714.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1008,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	806.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,516.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,516.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	607.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम YAAR MOHAMAD

पता J.17/169-B-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8799326420

MIS Id. 08170460-- Property Id. 1J170557001

Latitude 25.33607037560

Longitude 83.01614146480

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,811.0 व सामान्य कर 859.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1200,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	41,450.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	41,450.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,560.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SERAJUDDIN S/O MOHD ISMAIL

पता J.17/161-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170470-- Property Id. 1J170561002

Latitude 25.33611038910

Longitude 83.01564417150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/161-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,129.0** व सामान्य कर **344.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,416.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,416.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,806.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.KOISARI BEGAM W/O AAFTAB, SMT.JARINA BEGAM

पता J.17/171-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170489-- Property Id. 1J170562001

Latitude 25.33611650560

Longitude 83.01531339930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/171-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,353.0** व सामान्य कर **259.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 450,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	360.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,462.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,462.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	271.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAJIRUL HAQ S/O HAJI GULAM RASOOL

पता J.17/162- Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170462-- Property Id. 1J170569001

Latitude 25.33613723620

Longitude 83.01593332380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,746.0 व सामान्य कर 632.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2700,C= 2700	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,22,914.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,22,914.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	18,437.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Habitu Rehman

पता J.17/162-E Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170461-- Property Id. 1J170569002

Latitude 25.33613723620

Longitude 83.01593332380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,721.0** व सामान्य कर **409.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,004.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2516,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,013.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,768.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,768.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,514.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Lal Mohamad

पता J.17/162-B-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170466-- Property Id. 1J170571001

Latitude 25.33612676950

Longitude 83.01571567840

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,695.0 व सामान्य कर 296.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,283.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,283.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	361.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUDDIN S/O LATE MD. YAKUB

पता J.17/162-B-1-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170469-- Property Id. 1J170576001

Latitude 25.33615647550

Longitude 83.01565397540

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-B-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,250.0** व सामान्य कर **688.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1000,C= 500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	35,910.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	35,910.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,950.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT KAMRUNISSA MOHD RASHID ALIAS NASIR AHAMD MARHUM &

पता J.17/178-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170497-- Property Id. 1J170577001

Latitude 25.33617459440

Longitude 83.01475122250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/178-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,386.0 व सामान्य कर 372.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	320.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 640,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,502.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,502.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	385.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI SALEEM AKHTAR S/O MOINUDDIN

पता J.17/178-B-1-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170496A Property Id. 1J170579002

Latitude 25.33616545990

Longitude 83.01488476520

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/178-B-1-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,640.0 व सामान्य कर 290.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	354.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 504,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	403.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,758.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,758.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	303.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAJID ABDUL ASGAR SS/O NOOR MOHAMMAD

पता J.17/178-B-2-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 6388393595

MIS Id. 08170496B Property Id. 1J170580001

Latitude 25.33616845430

Longitude 83.01480492060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/178-B-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 12,312.0 व सामान्य कर 1,354.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1600,C= 1600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,03,968.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,03,968.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	15,595.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Muktar Nishar

पता J.17/162-C Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170485-- Property Id. 1J170586001

Latitude 25.33618456930

Longitude 83.01545586760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,900.0** व सामान्य कर **869.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	728.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1456,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,165.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,967.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,967.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	876.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BANSHI LAL SAHU S/O LATE DEVSARAN SAW, SMT. PHOOLA DEVI W/O
पता J.17/189-B-4-A-1 Alaipura South
नया वार्ड W060 Alaipura पुराना वार्ड W036 मोबाईल नं०
MIS Id. 08170248-- Property Id. 1J170593001 Latitude 25.33615426110 Longitude 83.01873641230

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/189-B-4-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,550.0** व सामान्य कर **941.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1500, C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु०) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु० में)	12,004.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,004.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,320.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIURRAHMAN S/O HAJI GULAM RASOOL

पता J.17/183-A-R Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8187938739

MIS Id. 08170127-- Property Id. 1J170594001

Latitude 25.33615925970

Longitude 83.01713612100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-A-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 10,260.0 व सामान्य कर 1,129.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 900	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	64,638.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	64,638.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	9,696.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Makabul

पता J.17/183-A-1K-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170114-- Property Id. 1J170597001

Latitude 25.33616805360

Longitude 83.01687039470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-A-1K-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,815.0** व सामान्य कर **860.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,426.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,208.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,208.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	903.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Smt.Nainwasi Devi

पता J.17/179-E-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170244-- Property Id. 1J170600001

Latitude 25.33614295860

Longitude 83.01853434400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-E-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,008.0** व सामान्य कर **1,541.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,499.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2584,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,067.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,140.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,140.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,555.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Muntul Doha

पता J.17/162 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170471-- Property Id. 1J170602001

Latitude 25.33624523190

Longitude 83.01562792650

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,816.0** व सामान्य कर **310.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,078.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,078.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	339.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Tarim

पता J.17/162-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

MIS Id. 08170467-- Property Id. 1J170604001

पुराना वार्ड W036

Latitude 25.33621103280

मोबाईल नं०

Longitude 83.01577967550

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,148.0** व सामान्य कर **346.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	886.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 528,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	422.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,250.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,250.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	358.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUNISSA W/O ALI HASAN & ALI HASAN TAJ MOHAMAMMD

पता J.17/183-A-S-H Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170112-- Property Id. 1J170605001

Latitude 25.33620490370

Longitude 83.01675849720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-A-S-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,753.0 व सामान्य कर 303.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,119.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 418,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	334.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,859.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,859.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	314.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMIRULLA

पता J.17/179-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9336924469

MIS Id. 08170096-- Property Id. 1J170607001

Latitude 25.33632842530

Longitude 83.01594795160

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,242.0** व सामान्य कर **1,017.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	5,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,576.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,576.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,053.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASHID, KUTUBUDDIN

पता J.17/162-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170468-- Property Id. 1J170612001

Latitude 25.33626963190

Longitude 83.01573577960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,503.0** व सामान्य कर **275.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	512.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 462,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	370.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,528.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,528.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	278.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Shri Mehi Lal

पता J.17/179-A-10-J Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170236-- Property Id. 1J170623002

Latitude 25.33624368510

Longitude 83.01807048760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-A-10-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,620.0 व सामान्य कर 288.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	944.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 484,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	387.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,648.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,648.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	291.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PARWATI DEVI W/O SHYAM NARAYAN

पता J.17/179-A-9-X Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170237-- Property Id. 1J170623003

Latitude 25.33624368510

Longitude 83.01807048760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-A-9-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,462.0** व सामान्य कर **271.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	944.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 484,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	387.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,648.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,648.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	291.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Noorjaha

पता J.17/178-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170498-- Property Id. 1J170626001

Latitude 25.33629745780

Longitude 83.01481431580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/178-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,399.0 व सामान्य कर 924.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,331.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1560,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,248.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,536.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,536.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	939.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BHOLANATH,AMARANATH OTHERS

पता J.17/179-A-10-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8604386610

MIS Id. 08170236A Property Id. 1J170632001

Latitude 25.33627267150

Longitude 83.01796038100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-A-10-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,190.0 व सामान्य कर 681.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,944.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,944.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,204.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Smt.Bhoola Devi

पता J.17/179-A-10-I Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170234-- Property Id. 1J170634001

Latitude 25.33628456470

Longitude 83.01791136960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-A-10-I के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,932.0 व सामान्य कर 433.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,540.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,540.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	609.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Ekbal Rasid, Abdul ajij, Moh. Farook

पता J.17/178-B-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170496-- Property Id. 1J170641001

Latitude 25.33634508920

Longitude 83.01471344400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/178-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,267.0 व सामान्य कर 579.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,592.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,592.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,605.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI DAYARAM S/O CHHOTU

पता J.17/179-F-9 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9956339484

MIS Id. 08170247-- Property Id. 1J170644001

Latitude 25.33626977380

Longitude 83.01878033280

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **20,859.0** व सामान्य कर **2,294.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	5,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 6300,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	5,040.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	35,568.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	35,568.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,912.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ATIULLAH S/O HAMIDULLAH

पता J.17/162-A-K-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170473-- Property Id. 1J170645001

Latitude 25.33640571330

Longitude 83.01535597510

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/162-A-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,104.0** व सामान्य कर **451.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 550,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,638.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,638.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,610.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SALAM S/O ABDUL GANI

पता J.17/183-A-1-O Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170113-- Property Id. 1J170646001

Latitude 25.33631071450

Longitude 83.01691739200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-A-1-O के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,129.0** व सामान्य कर **344.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,174.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 468,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	374.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,201.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,201.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	352.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.MUNNADI DEVI W/O RAM NARESH

पता J.17/179-A-10 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170233-- Property Id. 1J170651001

Latitude 25.33633328210

Longitude 83.01773210790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-A-10 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,985.0 व सामान्य कर 768.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,416.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,416.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,806.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMAD YUNUS S/O SHEKH MOHD.

पता J.17/183-A-1-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170138-- Property Id. 1J170655001

Latitude 25.33638136730

Longitude 83.01667123520

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/183-A-1-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,815.0** व सामान्य कर **860.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,683.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,208.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,208.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	903.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VINAY KUMAR S/O SRI JAGDISH PRASAD

पता J.17/179-J-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170230B Property Id. 1J170661001

Latitude 25.33637209130

Longitude 83.01759935660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-J-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,830.0** व सामान्य कर **421.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,755.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,755.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	963.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUDDIN S/O ANVARUL HAQ

पता J.17/179-F-14 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170214-- Property Id. 1J170662001

Latitude 25.33637849450

Longitude 83.01814858880

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-14 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,186.0** व सामान्य कर **460.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,210.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 702,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	562.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,322.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,322.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	475.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHARIFUNISSA

पता J.17/178 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170477-- Property Id. 1J170663001

Latitude 25.33644473740

Longitude 83.01476935450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/178 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,650.0 व सामान्य कर 622.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,888.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,888.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,408.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMNATH

पता J.17/179-A-9 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170228-- Property Id. 1J170664001

Latitude 25.33638675220

Longitude 83.01755639860

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-A-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,539.0** व सामान्य कर **169.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,019.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 300,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	240.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,847.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,847.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	203.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Smt.Sudama Devi, Shri Ram Ji

पता J.17/179-A-9-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170227-- Property Id. 1J170664002

Latitude 25.33638675220

Longitude 83.01755639860

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-A-9-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,409.0** व सामान्य कर **375.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,017.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 576,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	461.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,546.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,546.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	390.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT KAMRUNISSA W/O SRI HASNU

पता J.17/179-G Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170215-- Property Id. 1J170665002

Latitude 25.33640219280

Longitude 83.01804672520

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,655.0** व सामान्य कर **402.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,694.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,694.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	406.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHADEV PRASAD

पता J.17/179-M Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9324877646

MIS Id. 08170124-- Property Id. 1J170668001

Latitude 25.33642346440

Longitude 83.01719549660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,879.0** व सामान्य कर **427.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 300,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	240.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,289.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,289.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,122.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.CHANDRAWATI DEVI W/O BACHAU LAL RAM ASHISH S/O KASHI

पता J.17/179-J Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170230-- Property Id. 1J170673001

Latitude 25.33640345120

Longitude 83.01750456430

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,099.0 व सामान्य कर 891.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,208.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,208.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	903.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Jayada Bibi

पता J.17/179-A-Z Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

MIS Id. 08170126-- Property Id. 1J170676001

पुराना वार्ड W036

Latitude 25.33644704170

मोबाईल नं० 7824389642

Longitude 83.01705391110

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-A-Z के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,744.0** व सामान्य कर **192.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,736.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,736.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	301.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RIJWAN AHAMD ERFAN AHAMD SS/O FAIYAJUDDIN

पता J.17/179-M-6-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170226-- Property Id. 1J170681001

Latitude 25.33641570920

Longitude 83.01744729450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-M-6-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 1,733.0 व सामान्य कर 191.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,104.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,104.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	451.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AFJAL AHMAD,DILDAR AHMAD,JULFEKAR AHMAD,IFTEKHAR

पता J.17/179-X-1-J-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 6393680017

MIS Id. 08170144-- Property Id. 1J170682001

Latitude 25.33646623830

Longitude 83.01601972320

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-X-1-J-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 11,628.0 व सामान्य कर 1,279.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,416.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,416.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,806.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.RUKMANI DEVI W/O RAMASHANKAR VISHWAKARMA,DIVAS

पता J.17/179-L-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8563013202

MIS Id. 08170376-- Property Id. 1J170683001

Latitude 25.33647022600

Longitude 83.01689922020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-L-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,955.0 व सामान्य कर 325.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,283.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,283.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	361.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Abdul Majid

पता J.17/187-B-11 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 6307070909

MIS Id. 08170067-- Property Id. 1J170684001

Latitude 25.33650134520

Longitude 83.01537546720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-11 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 600,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,322.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,322.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,685.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJAY KUMAR KUSHWAHA, ANOOP KUMAR KUSHWAHA, ANAND

पता J.17/18 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180271-- Property Id. 1J170684002

Latitude 25.33650134520

Longitude 83.01537546720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/18 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 1,802.0 व सामान्य कर 198.0 से भिन्न है।

1,802.0

व सामान्य कर

198.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,3_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,472.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,472.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	602.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.AASHIK S/O MOHD.ASLAM

पता J.17/179-M-6-A-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170225-- Property Id. 1J170698003

Latitude 25.33647859090

Longitude 83.01738563450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-M-6-A-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,052.0 व सामान्य कर 226.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,020.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 680,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	544.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,651.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,651.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	512.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.ASLAM KHAN S/O LATE GULAM NAVI KHAN

पता J.17/179-M-1-A-K-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170223-- Property Id. 1J170698004

Latitude 25.33647859090

Longitude 83.01738563450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-M-1-A-K-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,873.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,020.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 288,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	230.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,970.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,970.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	217.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAIJURRAHMAN S/O HAJI MOHD.ISRAIL

पता J.17/179-F-8+179-F-9 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9336296370

MIS Id. 08170204A Property Id. 1J170702001

Latitude 25.33651738000

Longitude 83.01564524250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-8+179-F-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,576.0** व सामान्य कर **1,053.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 950,C= 475	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	760.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,115.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,115.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,753.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI PARAS NATH S/O JANGI RAI

पता J.17/179-M-1-A-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7860908077

MIS Id. 08170224-- Property Id. 1J170703001

Latitude 25.33649428960

Longitude 83.01732147640

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-M-1-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,772.0** व सामान्य कर **745.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,081.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,081.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,219.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SADRUNNISA W/O KAMRUDDIN

पता J.17/179-S-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170146-- Property Id. 1J170704001

Latitude 25.33653765020

Longitude 83.01622582510

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-S-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,231.0** व सामान्य कर **135.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,429.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 968,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	774.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,621.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,621.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	728.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LAKSHAN DEVI W/O BHAGWATI SINGH

पता J.17/179-F Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9793006172

MIS Id. 08170217-- Property Id. 1J170708001

Latitude 25.33646931380

Longitude 83.01785370150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,478.0** व सामान्य कर **713.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,440.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,566.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,566.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	722.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASARUDDIN

पता J.17/179-F-4 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170137-- Property Id. 1J170711003

Latitude 25.33650043530

Longitude 83.01647535590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,249.0** व सामान्य कर **357.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	896.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 484,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	387.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,311.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,311.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	364.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SURJAN S/O BAHADUR, DHANMATI

पता J.17/179-F-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170239A Property Id. 1J170712001

Latitude 25.33648839600

Longitude 83.01778006080

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,186.0** व सामान्य कर **460.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,312.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,312.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,354.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWARUL HAQ ALIES ANAR S/O HAZI JALIL SARADAR

पता J.17/179-A-19-C Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170219-- Property Id. 1J170712002

Latitude 25.33648839600

Longitude 83.01778006080

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-A-19-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,224.0 व सामान्य कर 465.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	758.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 648,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	518.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,432.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,432.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	488.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSMT EKBAL S/O YAKUB SAH

पता J.17/179-M-1-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8799096718

MIS Id. 08170222-- Property Id. 1J170718001

Latitude 25.33651530520

Longitude 83.01723741700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-M-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,130.0 व सामान्य कर 564.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,156.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,156.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	677.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOBIN KURAISHI S/O SALIM KURAISHI

पता J.17/187-A-14-X-E Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7081343258

MIS Id. 08170066-- Property Id. 1J170719001

Latitude 25.33657079560

Longitude 83.01523355660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-14-X-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,283.0** व सामान्य कर **361.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,140.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 700,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,458.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,458.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,700.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAZ AHMED S/O LATE GULAM KADIR

पता J.17/179-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9369827036

MIS Id. 08170148-- Property Id. 1J170720001

Latitude 25.33655334920

Longitude 83.01609006850

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,096.0 व सामान्य कर 671.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Industrial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 700,C= 500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	22,230.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	22,230.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,445.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHURSHID AALAM, MOHD. AARIF, MOHD. AASIF, MOHD. AADIL SS/O HAJI

पता J.17/179-F-M-K-KH Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170213-- Property Id. 1J170722001

Latitude 25.33650120230

Longitude 83.01773562270

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-M-K-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,632.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2400, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,416.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,416.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,806.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKHLAK AHMAD S/O JAMALUDDIN

पता J.17/179-F-14-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9369701636

MIS Id. 08170205-- Property Id. 1J170723001

Latitude 25.33651193260

Longitude 83.01767021810

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-14-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,363.0** व सामान्य कर **1,140.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,416.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,416.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,806.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHURSEED AHAMD S/O MOHD ISMAIL

पता J.17/179-F-14-KH Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170204-- Property Id. 1J170723002

Latitude 25.33651193260

Longitude 83.01767021810

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-14-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,625.0 व सामान्य कर 619.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	908.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 960,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	768.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,910.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,910.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	650.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAM BADAN S/O MUNESHVAR

पता J.17/179-M-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170221-- Property Id. 1J170724001

Latitude 25.33653444050

Longitude 83.01717424360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-M-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,079.0** व सामान्य कर **669.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1050,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	840.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,464.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,464.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	711.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Mohd Isha

पता J.17/187-A-K-1-X-E Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170064-- Property Id. 1J170726002

Latitude 25.33659116690

Longitude 83.01533403930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-K-1-X-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,257.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	418.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 418,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	334.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,287.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,287.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	252.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Smt.Sharda Devi

पता J.17/179-A-20 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7607490042

MIS Id. 08170220-- Property Id. 1J170729001

Latitude 25.33654961080

Longitude 83.01712156830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-A-20 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,247.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,462.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,462.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	271.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHRUNISSA W/O MOHD WAKEEL

पता J.17/187-B-1-B+17/179-F-1-C-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 6392350550

MIS Id. 08170071-- Property Id. 1J170730001

Latitude 25.33658301900

Longitude 83.01567003080

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-1-B+17/179-F-1-C-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,721.0** व सामान्य कर **409.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1100,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	880.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,833.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,833.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,302.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Noor Nisha

पता J.17/179-B-1-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170072-- Property Id. 1J170734001

Latitude 25.33660621370

Longitude 83.01559388710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-B-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,717.0** व सामान्य कर **519.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,540.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,540.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	609.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SALAM S/O LATE SAMSUDDIN

पता J.17/179-F-1-C-S Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170075-- Property Id. 1J170736001

Latitude 25.33659908300

Longitude 83.01588850090

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-1-C-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,900.0 व सामान्य कर 319.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 600,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	38,167.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	38,167.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,198.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EGRAM MNISU ISRAUSAHIQ S/O LATE YAKUB

पता J.17/187-A-14-X Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170065-- Property Id. 1J170746002

Latitude 25.33658459030

Longitude 83.01550635520

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-14-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,250.0 व सामान्य कर 798.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,819.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2312,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,850.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,651.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,651.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,392.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Shri Durjan Surajan Mishra

पता J.17/179-F-2-KH-3 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170239-- Property Id. 1J170747001

Latitude 25.33658667860

Longitude 83.01789160370

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-2-KH-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,873.0** व सामान्य कर **866.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,416.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,416.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,806.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TARANNUM BEGUM W/O MAHTAB ALAM AFSAA BANO W/O NAWAB

पता J.17/179-N-3-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170162-- Property Id. 1J170748001

Latitude 25.33660540400

Longitude 83.01665251790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-N-3-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 1,16,964.0 व सामान्य कर 17,545.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,804.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1804,C= 1804	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,443.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,17,224.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,17,224.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	17,584.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SERAJUL HAQ S/O ANVARUL HAQ

पता J.17/179-F-1-C-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7668265968

MIS Id. 08170152-- Property Id. 1J170753001

Latitude 25.33660987340

Longitude 83.01596998470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-1-C-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,944.0** व सामान्य कर **1,204.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 3600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,880.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,699.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,699.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,167.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Abdul Rahaman

पता J.17/179-F-C-5 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170151-- Property Id. 1J170753002

Latitude 25.33660987340

Longitude 83.01596998470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-C-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,992.0 व सामान्य कर 329.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,388.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 468,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	374.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,201.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,201.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	352.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.BECHNA DEVI W/O SRI GOPAL

पता J.17/179-F-6 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8009399468

MIS Id. 08170201-- Property Id. 1J170754001

Latitude 25.33662041130

Longitude 83.01729304860

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,962.0** व सामान्य कर **216.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 720,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	576.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,432.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,432.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	488.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.KALAVTI DEVI S/O LATE LAL JI

पता J.17/179-F-7 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170200-- Property Id. 1J170754002

Latitude 25.33662041130

Longitude 83.01729304860

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,001.0 व सामान्य कर 220.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	666.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 312,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	250.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,134.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,134.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	235.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.MOTI DEVI W/O BHGELU

पता J.17/179-A-2-KH-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9305081021

MIS Id. 08170207-- Property Id. 1J170756001

Latitude 25.33661108330

Longitude 83.01779535900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-A-2-KH-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,003.0** व सामान्य कर **990.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,920.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,416.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,416.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,806.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AFTAB AALAM S/O AMANATULLA

पता J.17/181-A-3 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8687228904

MIS Id. 08170062-- Property Id. 1J170759001

Latitude 25.33665421390

Longitude 83.01511286890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/181-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,198.0 व सामान्य कर 572.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	874.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2022,C= 600	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,618.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	45,948.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	45,948.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	5,054.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAJMUNISSA NASIRUDDIN MD FARUKH MD RAFIK MD GHULAM

पता J.17/187-B-3-1-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170063A Property Id. 1J170761002

Latitude 25.33667123560

Longitude 83.01535429070

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-3-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 11,710.0 व सामान्य कर 1,288.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,798.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3960,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,168.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,669.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,669.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,384.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.MUSTAFA S/O LATE BADARUDDIN

पता J.17/187-B-3-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9616284121

MIS Id. 08170061-- Property Id. 1J170765001

Latitude 25.33668712170

Longitude 83.01504522290

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-3-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,386.0** व सामान्य कर **372.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	760.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1020,C= 500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	816.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,651.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,651.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,812.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAIMULLA S/O YAKUB

पता J.17/179-F-5 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9151595701

MIS Id. 08170160-- Property Id. 1J170769001

Latitude 25.33669516270

Longitude 83.01617378690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,746.0 व सामान्य कर 632.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,566.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,566.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	722.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD RAFIK S/O LATE MOHD HARUN

पता J.17/187-B-2-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9125258733

MIS Id. 08170060B Property Id. 1J170773001

Latitude 25.33671140980

Longitude 83.01498711790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,694.0** व सामान्य कर **406.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	712.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_< 120Sq.Ft	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 400,C= 80	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	320.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,131.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,131.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	454.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAWAB ALAM SADAB ALAM S/O HAJI JAMANUDDIN
पता J.17/179-A-2-KH-1 Alaipura South
नया वार्ड W060 Alaipura
पुराना वार्ड W036
मोबाईल नं०
MIS Id. 08170207A Property Id. 1J170780001
Latitude 25.33662120430
Longitude 83.01750507120

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-A-2-KH-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **63,560.0** व सामान्य कर **9,534.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	4,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 1800	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,04,652.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,04,652.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	15,698.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Azizur Rehman

पता J.17/179-F-1-H Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170166-- Property Id. 1J170781001

Latitude 25.33670262650

Longitude 83.01704954570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-1-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,404.0 व सामान्य कर 594.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,537.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1012,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	810.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,538.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,538.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	609.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIR AHMAD

पता J.17/187-B-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170060-- Property Id. 1J170782001

Latitude 25.33673119160

Longitude 83.01494721620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,923.0 व सामान्य कर 652.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,100.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1100,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	880.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,019.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,019.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	662.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAJRA KHATOON W/O MOHD.KAISAR

पता J.17/179-D-1-K-N Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170076-- Property Id. 1J170784002

Latitude 25.33673253610

Longitude 83.01551707630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-D-1-K-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,840.0** व सामान्य कर **752.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	778.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1008,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	806.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,895.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,895.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	758.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BARSATI S/O GHURAYARI

पता J.17/179-F-6-K-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8009781099

MIS Id. 08170202-- Property Id. 1J170788001

Latitude 25.33666121770

Longitude 83.01737125080

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-6-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,976.0** व सामान्य कर **767.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1500,C= 750	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,312.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,312.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,354.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TARA DEVI W/O GHULAB

पता J.17/179-F-11 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9635605355

MIS Id. 08170171-- Property Id. 1J170790001

Latitude 25.33673460520

Longitude 83.01667969180

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-11 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,721.0** व सामान्य कर **409.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,755.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,755.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	963.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SABARA BIWI W/O AMIRULLAH

पता J.17/187-B-3 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170059-- Property Id. 1J170793001

Latitude 25.33675733490

Longitude 83.01489385320

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,449.0** व सामान्य कर **269.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,121.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 480,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	384.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,627.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,627.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	289.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAGEER AHMED S/O AMIRULLA

पता J.17/179-P-X Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9151275650

MIS Id. 08170172-- Property Id. 1J170800001

Latitude 25.33676787330

Longitude 83.01647707910

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-P-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,486.0** व सामान्य कर **603.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,156.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,156.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	677.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASAMTULLA S/O RUSATAM SARDAR

पता J.17/179-P-N Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9026759581

MIS Id. 08170173-- Property Id. 1J170801001

Latitude 25.33677942130

Longitude 83.01639661110

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-P-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,924.0** व सामान्य कर **322.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,387.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,387.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	813.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Moinuddin, Saiduddin

पता J.17/179-R-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170175-- Property Id. 1J170803001

Latitude 25.33679005360

Longitude 83.01634431640

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-R-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,873.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	658.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 288,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	230.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,970.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,970.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	217.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAITUNNISHA W/O MUKHTAR AHAMD

पता J.17/169-R-1-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170328C Property Id. 1J170806001

Latitude 25.33679768630

Longitude 83.01629557260

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/169-R-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,302.0** व सामान्य कर **1,023.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1400,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,120.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,576.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,576.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,053.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULJAR AHMAD S/O HAJI SAMSUL HAK

पता J.17/187-A-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170074-- Property Id. 1J170807001

Latitude 25.33678925040

Longitude 83.01543775700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,387.0 व सामान्य कर 813.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1500,C= 1500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	95,418.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	95,418.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	14,313.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI GULAM RASUL S/O LATE AMIR AHMAD

पता J.17/179-A-R-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170077-- Property Id. 1J170807002

Latitude 25.33678925040

Longitude 83.01543775700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-A-R-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 794.0 व सामान्य कर 87.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,625.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 680,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	544.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,651.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,651.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	512.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAKRA BIWI W/O MD ISRAIL

पता J.17/179-F-4-G Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170176-- Property Id. 1J170809002

Latitude 25.33680613600

Longitude 83.01625064880

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-4-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,736.0** व सामान्य कर **301.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	552.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 552,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	442.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,021.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,021.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	332.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DUDHNATH S/O LABEDI

पता J.17/179-F-11-KH Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8881353362

MIS Id. 08170197-- Property Id. 1J170810001

Latitude 25.33673870780

Longitude 83.01715018300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-11-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,063.0 व सामान्य कर 557.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,387.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,387.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	813.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWAR AHAMD S/O MD SALIM

पता J.17/179-M-1-KH Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170344-- Property Id. 1J170810002

Latitude 25.33673870780

Longitude 83.01715018300

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-M-1-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,404.0** व सामान्य कर **594.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	340.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1020,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	816.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,581.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,581.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	614.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Samsulhoda

पता J.17/179-CH-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170188-- Property Id. 1J170822002

Latitude 25.33686287520

Longitude 83.01648435380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-CH-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,570.0** व सामान्य कर **173.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 300,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	240.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,847.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,847.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	203.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAHAN SHAH KAMAL S/O HASMAT KAMAL

पता J.17/179-F-1-G Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170196-- Property Id. 1J170823001

Latitude 25.33682290760

Longitude 83.01707140380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-1-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,502.0 व सामान्य कर 495.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,156.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,156.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	677.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Nasim

पता J.17/181-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9696971433

MIS Id. 08170085-- Property Id. 1J170824001

Latitude 25.33683359960

Longitude 83.01479151940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/181-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,257.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,850.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,850.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,084.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD DIN S/O AMIRULLA

पता J.17/179-M-D Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170181-- Property Id. 1J170825002

Latitude 25.33688942840

Longitude 83.01601999130

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-M-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,684.0** व सामान्य कर **185.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	693.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 264,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	211.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,806.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,806.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	199.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMAJAAN S/O MOHD ISAHAK

पता J.17/187-B-4 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8563916616

MIS Id. 08170054-- Property Id. 1J170827001

Latitude 25.33692102040

Longitude 83.01473989150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,575.0** व सामान्य कर **613.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2000,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,200.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,200.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,762.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IQUBQL AHMED S/O ABDUL HAI

पता J.17/179-B-12-E Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 7505346642

MIS Id. 08170192-- Property Id. 1J170832001

Latitude 25.33686509330

Longitude 83.01678256800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-B-12-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,873.0** व सामान्य कर **536.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	28,728.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	28,728.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,160.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Smt.Ram Tajji Devi W/o Ram Bahal

पता J.17/179-L-K-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170191-- Property Id. 1J170832003

Latitude 25.33686509330

Longitude 83.01678256800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-L-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,655.0** व सामान्य कर **402.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	970.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 612,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	490.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,767.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,767.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	414.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANSAR AHMAD S/O LATE MOHD.IDRIS

पता J.17/187-B-4-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170054A Property Id. 1J170833001

Latitude 25.33691701830

Longitude 83.01467756890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-4-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,241.0 व सामान्य कर 797.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	GF_< 120Sq.Ft Commercials	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1100,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	880.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,516.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,516.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	937.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINURRAHMAN ALIAS LALE S/O ABDUL RAHMAN

पता J.17/181-A-2-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170053-- Property Id. 1J170837002

Latitude 25.33696752400

Longitude 83.01464115010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/181-A-2-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 10,397.0 व सामान्य कर 1,144.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	960.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1920,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,536.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,506.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,506.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,156.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIJAN BIBI W/O EIDU

पता J.17/187-B-5-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170050-- Property Id. 1J170857001

Latitude 25.33704207960

Longitude 83.01438619370

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-5-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,208.0** व सामान्य कर **903.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	935.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2105,C= 700	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,684.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	52,217.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	52,217.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	7,833.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASHOK KUMAR SUBHASH CHANDRA SS/O SARADA PRASAD

पता J.17/184-C Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170502-- Property Id. 1J170862001

Latitude 25.33706824040

Longitude 83.01392713440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/184-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,627.0 व सामान्य कर 289.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	604.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 504,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	403.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,758.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,758.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	303.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MASJID IBRAHIMI HAJI EKBAL AHAMD HAJI NISAR AHAMD S/O MD

पता J.17/179-C-1-E-9 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170073A Property Id. 1J170869001

Latitude 25.33705888490

Longitude 83.01574359070

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-C-1-E-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,104.0** व सामान्य कर **451.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	754.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Industrial Unit	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 754	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	26,303.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	26,303.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,893.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BASHIRUDDIN S/O LATE NAKH MOHAMMAD

पता J.17/187-B-4-1-A Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170041-- Property Id. 1J170872001

Latitude 25.33712541900

Longitude 83.01420686490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-4-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,295.0 व सामान्य कर 472.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	720.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 720,C= 240	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	576.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,894.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,894.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,968.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SARIFURNISHA BAKRIDU OTHERS

पता J.17/187-B-16 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8188975296

MIS Id. 08170047-- Property Id. 1J170875001

Latitude 25.33713554780

Longitude 83.01461804040

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-16 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,198.0 व सामान्य कर 572.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,208.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,208.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	903.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUFAIDA BIBI & SERAJUDDIN S/O AJIRULLAH OTHERS

पता J.17/187-A-4-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170035-- Property Id. 1J170877001

Latitude 25.33713438050

Longitude 83.01414071900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-4-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,398.0** व सामान्य कर **1,584.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,332.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2664,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,131.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,577.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,577.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,603.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PYRE LAL S/O RUP CHAND

पता J.17/179-1-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170083-- Property Id. 1J170881001

Latitude 25.33716251800

Longitude 83.01500442650

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,710.0** व सामान्य कर **628.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 900,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	22,982.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	22,982.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,528.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Mosque Abdul Karim

पता J.17/181 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170476-- Property Id. 1J170887001

Latitude 25.33720204610

Longitude 83.01474274700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/181 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **39,316.0** व सामान्य कर **4,325.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 6450,C= 750	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	5,160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	78,899.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	78,899.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	11,835.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIR AHAMAD S/O SARDAR ABDUL VASIM SMT.MAIRUNISHA W/O

पता J.17/187-B-18 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 6307645191

MIS Id. 08170045-- Property Id. 1J170889001

Latitude 25.33722773640

Longitude 83.01453482910

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-18 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,576.0** व सामान्य कर **1,053.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,944.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,944.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,204.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Kamruddin

पता J.17/187-B-15 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170044-- Property Id. 1J170889002

Latitude 25.33722773640

Longitude 83.01453482910

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-15 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,018.0** व सामान्य कर **222.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	823.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 380,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	304.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,079.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,079.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	229.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JARINA BIBI D/O HAJI MOHD.UMAR,ANSAR AHAMAD S/O HAJI JAHUR

पता J.17/187-B-4-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170039-- Property Id. 1J170890002

Latitude 25.33723299700

Longitude 83.01423102110

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-4-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,944.0** व सामान्य कर **1,204.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,016.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 2016,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,613.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,032.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,032.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,214.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VASIM AHMAD,NASIM AHMAD SS/O HAJI MOHD.YASIN

पता J.17/187-A-R-9 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170086-- Property Id. 1J170891001

Latitude 25.33723561710

Longitude 83.01503304530

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-R-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,446.0** व सामान्य कर **489.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	803.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 676,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	541.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,624.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,624.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	509.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAHIRUDDIN,ABDUL GANI SS/O NIRAHU

पता J.17/186-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8005411262

MIS Id. 08170038-- Property Id. 1J170893001

Latitude 25.33725234010

Longitude 83.01410491440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/186-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,610.0 व सामान्य कर 507.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1300,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,040.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,114.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,114.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	783.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIJAMUDDIN S/O ABDUL GAFUR

पता J.17/19-N Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170036-- Property Id. 1J170897001

Latitude 25.33730452070

Longitude 83.01412792960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/19-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 1,977.0 व सामान्य कर 217.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	508.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 300,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	240.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,736.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,736.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	301.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Nasibulla

पता J.17/187-A-3 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170037-- Property Id. 1J170930001

Latitude 25.33738251090

Longitude 83.01415878740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,977.0** व सामान्य कर **217.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,283.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,283.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	361.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Vasant Lal

पता J.17/187-A-D Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170506-- Property Id. 1J170934001

Latitude 25.33744024500

Longitude 83.01264917200

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,211.0 व सामान्य कर 683.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	576.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1152,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	922.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,304.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,304.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	693.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT MALIK SHRI BHOOLA NATH

पता J.17/187-A-10 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170508-- Property Id. 1J170945001

Latitude 25.33747870170

Longitude 83.01242767400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-10 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,915.0 व सामान्य कर 761.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,105.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1320,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,056.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,223.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,223.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	795.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI RAJ KUMAR GUPTA

पता J.17/187-A-7-C Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170509-- Property Id. 1J170945002

Latitude 25.33747870170

Longitude 83.01242767400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-7-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,472.0 व सामान्य कर 602.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,105.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1020,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	816.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,581.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,581.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	614.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI PRAKASH ALIAS SUDHU

पता J.17/187-A-7-B Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170510-- Property Id. 1J170946001

Latitude 25.33749130900

Longitude 83.01234701800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-7-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,925.0** व सामान्य कर **542.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	320.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 960,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	768.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,253.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,253.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	578.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SARFARAJ AALAM S/O LATE MAHBOOB AALAM

पता J.17/187-E-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170511-- Property Id. 1J170951001

Latitude 25.33750065060

Longitude 83.01229308500

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-E-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 9,302.0 व सामान्य कर 1,023.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	702.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 702,C= 702	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	562.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,603.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,603.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,056.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT GAYATRI DEVI W/O VINOD KUMAR, MANOJ KUMAR W/O RAM

पता J.17/187-A-6- Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170031-- Property Id. 1J170952001

Latitude 25.33749651200

Longitude 83.01295957760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-6- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,386.0 व सामान्य कर 372.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	808.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 648,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	518.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,546.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,546.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	390.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Naimulla Haji

पता J.17/140-A-1-K+140-A-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170573-- Property Id. 1J170990001

Latitude 25.33761507740

Longitude 83.01279761130

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/140-A-1-K+140-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **20,708.0** व सामान्य कर **2,278.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,000.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Industrial Unit,2_Industrial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 200,C= 3000	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,06,020.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,06,020.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	15,903.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम UMASHANKAR S/O VIKRAMA PRASAD

पता J.17/187-A-G Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170028-- Property Id. 1J170990002

Latitude 25.33761507740

Longitude 83.01279761130

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,074.0 व सामान्य कर 668.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	702.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2106,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,685.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	11,524.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	11,524.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,268.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NARESH SHANKAR S/O LATE VIKRAMA PRASD

पता J.17/187-A-K-1 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170032-- Property Id. 1J170994001

Latitude 25.33757451530

Longitude 83.01270432530

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,772.0 व सामान्य कर 745.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,040.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1280,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,024.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,004.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,004.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	770.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHHOTE LAL

पता J.17/187-A-11 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170029-- Property Id. 1J171000001

Latitude 25.33762227580

Longitude 83.01298218420

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-11 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,943.0** व सामान्य कर **1,864.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,739.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3168,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,534.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,335.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,335.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,907.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAM SIROMAN GUPTA S/O RAM AVTAR GUPTA

पता J.17/179-F-K Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 8960825026

MIS Id. 08170167-- Property Id. 1J171032001

Latitude 25.33671214320

Longitude 83.01693707620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/179-F-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,736.0** व सामान्य कर **301.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1000,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	17,100.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	17,100.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,881.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSMT FATMA BIBI W/O MOHD IBRAHIM & NESAR AHAMD &

पता J.17/187-B-5-3 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170049-- Property Id. 1J171033001

Latitude 25.33717046730

Longitude 83.01406421900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-B-5-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,059.0 व सामान्य कर 776.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1800,C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	79,618.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	79,618.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	11,943.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.ISMAIL

पता J.17/50 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9307637009

MIS Id. 08180181-- Property Id. 1J171037001

Latitude 25.33275205750

Longitude 83.01196150340

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/50 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,830.0** व सामान्य कर **531.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1300,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,040.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,114.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,114.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	783.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMED S/O BABU

पता J.17/44 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180221-- Property Id. 1J171038001

Latitude 25.33289726130

Longitude 83.01215837590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/44 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,586.0** व सामान्य कर **174.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	576.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1728,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,382.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,456.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,456.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,040.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HADAYTULLA

पता J.17/187-A-2 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170027-- Property Id. 1J171040001

Latitude 25.33758745330

Longitude 83.01260324900

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,939.0** व सामान्य कर **543.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,975.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 936,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	749.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,122.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,122.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	563.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAHIRUDDIN S/O NIRAHU

पता J.17/186-A-1-KH Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं० 9580484319

MIS Id. 08170084-- Property Id. 1J171041001

Latitude 25.33723222010

Longitude 83.01491376950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/186-A-1-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,009.0** व सामान्य कर **551.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1500,C= 750	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	52,839.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	52,839.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	7,926.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BARDI PRASAD S/O NANHAK

पता J.17/20 Alaipura South

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W036

मोबाईल नं०

MIS Id. 08180284-- Property Id. 1J171046001

Latitude 25.33287162360

Longitude 83.01254584750

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/20 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,950.0** व सामान्य कर **765.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	542.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1936,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,549.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	0.95	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,594.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,594.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,165.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय